खण्ड-385, अंक-9
सोमवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1910
(21 मार्च, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
प्रश्नोत्तर	..	3-63
जनपद मथुरा में गोवर्धन नाले के अधूरे निर्माण-कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	63
जिला बलिया के विकास कार्यों के लिये आबंटित धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	63-64
जिला बाराबंकी के जैदपुर कस्बे में फैली हुई गन्दगी की सफाई व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	64
देवरिया जिलान्तर्गत कसया कस्बे में पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	64
जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	65
सीतापुर नगर में प्रवेश हेतु मार्गों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	65
आगरा जिलान्तर्गत यमुना पार क्षेत्र का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	65-66
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	66
विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा वितरित बजट साहित्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तथा शासन द्वारा हिन्दी की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	66-72
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	73
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	73-74
जिलाधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी	..	74-75
उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रवर समिति द्वारा और समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	75-76
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	76-97
श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की बांदा कारागार से रिहाई की सूचना	..	97

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विकास (कृषि) (स्वीकृत) ..	98-155
देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में संग्रह अमीनों द्वारा मारपीट किये जाने विषयक सूचना की जांच के सम्बन्ध में जानकारी ..	156
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग, अनुदान संख्या 23--खेल विभाग, अनुदान संख्या 63--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग तथा अनुदान संख्या 85--सांस्कृतिक कार्य विभाग (जारी) ..	156-167
प्रस्तुत बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	167
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग, अनुदान संख्या 23--खेल विभाग, अनुदान संख्या 63--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग तथा अनुदान संख्या 85--सांस्कृतिक कार्य विभाग (जारी) ..	167-183
प्रस्तुत बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (पुनः स्वीकृत) ..	183-184
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग, अनुदान संख्या 23--खेल विभाग, अनुदान संख्या 63--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग तथा अनुदान संख्या 85--सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	184-189
बरेली जनपद में स्थित विमको फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा इलाहाबाद जनपद में हुई हत्याओं एवं लूट के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन ..	189-190
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं (जारी) ..	190
कानपुर में गंगा बैराज बनाने एवं गंगा को घाटों तक लाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	190-198
उत्तर प्रदेश के सीनियर बेसिक शिक्षकों द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन एवं उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	199-200
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं ..	200
नत्थियां ..	201-214

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री निवाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमिताभ लवानिया, श्री (आगरा)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कनक सिंह, श्री (गाजियाबाद)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कल्यान सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
केशरी सिंह, कर्नल (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
चन्द्रभान मौर्य, श्री (आगरा)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
प्रभुदयाल, प्रधान (मेरठ)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री (बस्ती)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
राम गोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम शरण दास, श्री (सहारनपुर)
विलायती राम कटयाल, श्री (कानपुर)
बीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सोन, श्री (आगरा)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सुखपाल पाण्डे, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री (अलीगढ़)
सैयद जावेद अली खजपोश, श्री (गोरखपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ होने पर ।)

श्री फजलुल बारी--

माननीय अध्यक्ष जी, आज लेट कैसे तशरीफ लाये ?

श्री अध्यक्ष--

इसलिये देर से आये कि कोरम पूरा नहीं था ।

श्री राम आसरे वर्मा--

फिर कोरम कौन पूरा करायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें आप और हम दोनों ही शामिल हैं ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कारागार में साठ वर्ष या उससे अधिक समय के बन्दियों को छोड़ने की मांग

**1--श्री मित्रसेन--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कारागार में निरुद्ध उन बन्दियों को जिनकी आयु सीमा साठ वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें छोड़ने पर विचार करेंगे ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मात्र आयु सीमा के आधार पर किसी बन्दी को कारागार से मुक्त करने का नियमों में प्राविधान नहीं है ।

श्री मित्र सेन--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश की थी कि सरकार 60 साल के बन्दियों को छोड़ने पर विचार करेगी ? 60 साल के जो लोग होते हैं प्रशासनिक सेवा में, उनको मौका दिया जाता है, जो कि लिखा-पढ़ी का काम करते हैं, उनको इस आयु में सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, जबकि बन्दी लोग शारीरिक श्रम करते हैं । जब कलम से काम करने वाले इस आयु में रिटायर कर दिये जाते हैं तो जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं और 60 वर्ष की आयु में वे जेलों में हैं तो क्या मानवीय दृष्टिकोण से इस पर विचार करते हुये कि जो लोग इस आयु में शारीरिक रूप से असमर्थ हों, उनको छोड़ने के बारे में शासन क्या कोई नीति अपनायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने प्रशासनिक सेवा के लोगों की और जेल के मुलजिमों की आपस में तुलना की है जो कि प्रश्न से बिल्कुल परे हैं और कतई

यह आपस में जोड़ा नहीं जा सकता हैं। कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि 60 साल की उम्र में कत्ल और डकैती के मामले में लोगों को सजा होती है। मात्र आयु के आधार पर न किसी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन शारीरिक हालत की बात जो कही गयी है वह इस प्रकार है कि जेल सुप्रीटेन्डेन्ट, डाक्टर और सी0 एम0 ओ0, इन तीनों के माध्यम से जब शासन के पास आख्या आ जाती है तो गुण-दोष के आधार पर किसी बन्दी को छोड़ने पर शासन विचार करता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस तरह की नजीरें हैं या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि 60 साल के बाद किसी ने कत्ल और डकैती के अपराध किये हों और उसे बन्दी बनाया गया हो ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, वैसे तो हमारे सम्मानित सदस्य को बहुत सी मिसालें अपने ही क्षेत्र की मालूम होंगी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि 60 साल की उम्र में लोगों ने हत्या के अपराध किये हैं, अक्सर बहुत सी ऐसी कहानियां मिलेंगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुये एक या दो इस प्रकार के उदाहरण बतलायेंगे ?

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस प्रश्न की मूल भावना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो बन्दी दस साल की सजा काट लेते हैं और उन्होंने अपनी आयु का 60 वर्ष पूरा कर लिया है, दूसरे वे शारीरिक रूप से बेकार हो चुके हैं, ऐसे लोगों को छोड़ने पर क्या नियमों में आप संशोधन करने पर विचार करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, नियमों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मूल भावना की बात कही है उसके उत्तर में बतला रहा हूं कि इसमें उम्र की कोई बात नहीं है, बन्दी का जेल का आचारण कैसा रहा है इसकी रिपोर्ट, जिस जिले से सजा हुई है, उसकी प्रशासनिक आख्या तथा डाक्टर की रिपोर्ट, इन तीनों के आने पर 58 साल की उम्र में भी विचार किया जा सकता है, इसमें उम्र कोई बाधा नहीं है।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, इस प्रश्न की मूल भावना को देखते मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बन्दियों के शारीरिक अक्षमता का प्रमाण-पत्र आपके विभाग द्वारा दे दिया जाय क्योंकि इस उम्र में अक्षम व्यक्ति कोई अपराध करने के लायक नहीं रहता है, क्या ऐसी व्यवस्था कोई कराने पर आप विचार करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि ऐसे बन्दियों पर विचार होता रहता है, इसके लिये प्रोबसन बोर्ड बना हुआ है, जो इस प्रकार के बन्दियों के मामले में गुण और दोष के आधार पर विचार करता है, और इस प्रकार के विचार आगे भी होते रहेंगे ।

श्री मित्र सैन--

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक निवेदन करूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जी अपने समस्त केन्द्रीय कारागारों व जिला कारागारों की इस प्रकार की रिपोर्ट जो बन्दी 60 वर्ष से अधिक के हो गये हैं, और वह शारीरिक रूप से देखने-सुनने और चलने-फिरने आदि से अक्षम हों और 2-4 व 5-10 साल की सजा काट चुका हो, को मंगाकर कोई ऐसी नीति निर्धारित करने की कृपा करेंगे जिससे इनके मामले में मानवता की दृष्टि से विचार किया जा सके ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं यदि कोई विशेष प्रकार का मामला आपकी नजर में हो, तो प्रार्थना-पत्र दिलवायें उस पर विचार कर लिया जायेगा और जैसा कि मैंने भी निवेदन किया कि यदि कहीं पर कोई बन्दी शारीरिक रूप से अक्षम हो चुका है, और यह निश्चित हो जाये कि वह अपराध नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें कोई ऐसे शारीरिक अक्षमता परमानेन्टली पैदा हो गया है तो ऐसे बन्दियों को आख्या हम अवश्य मंगायेंगे ।

प्रत्येक विकास खंड को हर न्याय पंचायत या एक ग्राम सभा को 10 हजार रु0 दिये जाने के निर्देश

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक विकास खंड को हर न्याय पंचायत को या उसको एक ग्राम सभा को 10 हजार रुपये दिये जाने हेतु फरवरी, 1988 में खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया ? यदि हां, तो यह धन विकास खण्डों के पास भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसको क्या व्यवस्था की गयी है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

जी नहीं ।

शासनादेश दिनांक 19 जनवरी, 1988 द्वारा सूखा राहत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड की प्रत्येक न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में एक चयनित ग्राम में 10 हजार रुपये तक की लागत के स्थानीय महत्व के कार्य सम्बन्धित ग्राम प्रधान के उत्तरदायित्व में कराये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं । चयनित ग्रामों में प्रस्तावित कार्य हेतु संसाधनों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर प्रत्यक जनपद को पूर्व आवंटित संसाधनों में से बचे हुए संसाधनों से की जानी थी । अवशेष संसाधन अपर्याप्त होने की स्थिति में 19 जिलों को रु0 2,50,53,600 की अतिरिक्त धनराशि दिनांक 29 फरवरी, 1988 को आवंटित की गयी है । विकास खण्डों को आवश्यकतानुसार संसाधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाती है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, शासन की एक आदत सी पड़ गयी है कि टुकड़े डालकर लड़वाने की इसी प्रकार की एक बात यहां कही गयी कि हर ग्राम सभा को हम 10 हजार रुपया देंगे और यह रुपया कहां से जुटायेंगे जो सूखा और बाढ़ की राहत में से बचे हुए अवशेष में से देंगे । इस बात को जानते हुए कि जब इन मदों में से बचेगा तो दिया जायेगा, कोई भी काम वहां पर मुस्तैदी से नहीं हो रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ग्राम सभाओं को चयनित करने की कार्यवाही का कोई आधार अब तक शासन ने बनाया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय, सूखे की स्थिति के कारण जो भूमिहीन मजदूर ग्रामीण अंचलों में हैं उनको रोजगार दिलाने के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था न्याय-पंचायतों की ओर से होगी कि ऐसे गांवों में सूखा राहत का काम हो ताकि ऐसे भूमिहीनों के लिए रोजगार का सृजन किया जा सके . . . । इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया जो भी सूखा राहत के लिए और रोजगार के लिए काम हो रहे हैं, हर न्याय पंचायत के एक गांव में सूखा राहत का काम अवश्य चलाया जाये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

सूखा राहत के लिए पैसा आया था और जिसके तहत न्याय पंचायत स्तर पर काम किया जाना था । कुछ न्याय पंचायतों ने नये कुओं के लिए और पुराने कुओं की मरम्मत के लिए धन का प्राविधान किया गया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि सूखा राहत के धन से सबसे पहले पेयजल उपलब्ध करायेंगे, लेकिन जो धनराशि निर्धारित की गयी है, कुओं की मरम्मत के लिए वह धन पर्याप्त नहीं हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे कि जिन गांव सभाओं में इस तरह से कुएं मौजूद हैं, जिनकी मरम्मत पर निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च आयेगा, उनको उतनी धनराशि लगाकर मरम्मत कराया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय तिवारी जी के सुझाव पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं समझता हूं कि 10 हजार रु0 की जो घोषणा की गयी थी, वह घोषणा मात्र थी और जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए थी । जो मजदूरी की दर है उसको देखते हुए लगभग 80 लोगों को 10 दिन का काम मिलेगा । यह रुपया केवल 19 जिलों को दिया गया है । तो यह 19 जिले कौन-कौन हैं और इनको रुपया दिये जाने का क्या आधार है और शेष जिलों को रुपया न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय, 19 सितम्बर, को शासनादेश जारी हुआ, उसके तहत हर जिले को 50 लाख रुपया और 1200 मीट्रिक टन खाद्यान उपलब्ध कराया गया और कहा गया कि सूखा राहत काम शुरू कराया जाये और यह सोचा गया कि किसी विकास खण्ड में कुछ न्याय पंचायतों में काम हो सकता है और कुछ वंचित रह जायेंगी तो यह निर्देश दिये गये कि हर न्याय पंचायत से एक गांव को अवश्य चयनित किया जाये और वहां पर

सूखा राहत काम शुरू किया जाये । बहुत से जिलों में रुपया खर्च नहीं हुआ इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि 50 लाख रुपये और 1200 मी0 टन खाद्यान्न जो दिया गया है, उसमें से जो रुपया बचा है उससे न्याय पंचायतों में सूखा राहत कार्य किया जाये और जहां पर धन न हो तो जिलाधिकारी अतिरिक्त संसाधनों की मांग करेंगे तो अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी । 19 जिलों से अतिरिक्त संसाधनों की मांग की गयी और इन जिलों में 2 करोड़ 50 लाख 53 हजार 600 रुपया की धनराशि आवंटित की गयी । माननीय गुप्ता जी ने 19 जिलों के नाम पूछे हैं, तो वह यह हैं, हरदोई, टेहरी-गढ़वाल, जालौन, बिजनौर, शाहजहांपुर, उन्नाव, फतेहपुर, बाराबंकी, एटा, बांदा, हमीरपुर, गाजियाबाद, पिथौरागढ़, सुलतानपुर, बहराइच, आगरा, बरेली, रायबरेली और इलाहाबाद ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, एक न्याय पंचायत में 10 ग्राम सभायें होती हैं और एक ग्राम सभा में कम से कम 10 उप ग्राम सभायें होती हैं ।....एक गांव सभा में कुछ न कुछ उपग्राम भी होते हैं और बड़ी ग्राम सभा में तो 18-18 उप ग्राम भी होते हैं जिसकी आबादी 10 हजार के करीब होती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि एक न्याय पंचायत पर 10 हजार रुपये आपने दिये हैं यह बहुत कम है । इस इकाई को हटाकर आप गांव सभा को इकाई बनाने की कृपा करेंगे । न्याय पंचायत न मानकर इसे आप ग्राम सभावार मानेंगे ? दूसरी बात यह है कि क्या आप इस धनराशि को भी बढ़ायेंगे ताकि सूखा राहत कार्यों में ज्यादा रोजगार सृजित किये जा सकें । इस धनराशि में न तो तालाब बनता है, न पोखर बन सकता है और न एक किलोमीटर सड़क ही बन पाती है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस रुपये का सदुपयोग हो, इस धनराशि को आप बढ़ाने की कृपा करेंगे ताकि काम भी पूरा हो जायं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, एक न्याय पंचायत में एक ग्राम सभा के लिए जो कहा गया है कि वहां पर 10 हजार रुपये की लागत पर रोजगार सृजित किये जायं, इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय पंचायत की अन्य ग्राम सभाओं में काम न किया जाय । यह निर्देश दिये गये हैं कि एक ग्राम सभा को जरूर चुनकर 10 हजार रुपया देकर सूखा राहत के काम किये जायं । मान्यवर, इस धन के अलावा 90 करोड़ 92 लाख रुपया सूखा राहत कार्यक्रमों के लिए रोजगार सृजन हेतु आवंटित हुये थे जो कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सिंचाई विभाग, पी0 डब्लू0 डी0, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग को योजनाओं के लिए यह रुपया दिया गया था और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि कम से कम न्याय पंचायत की एक गांव सभा में काम जरूर हो। इसका मतलब यह है कि पी0 डब्लू0 डी0 जब कोई सड़क बना रही हो तो उसको पूरा करने के लिए दूसरी गांव सभा के लोग भी काम पाये हों । सिंचाई विभाग में गूल और ड्रेन बनाने के लिए दिया गया तो उससे अन्य गांवों के लोग भी काम पाये होंगे । इसी प्रकार तालाब खोदने के काम के लिए भी दूसरे गांव के लोग रोजगार पाये होंगे । इसीलिए यह 90 करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी कि वहां पर कुछ न कुछ काम जरूर हो । वर्मा जी ने तो पूछा था कि यह धन कैसे दिया गया, इसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री अचल सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 19 जिलों में फतेहपुर का नाम भी मंत्री जी ने लिया, उसके लिए कितना धन स्वीकृत हुआ ? दूसरी बात यह है कि कुछ काम

सूखा राहत के अन्तर्गत ब्लाक स्तर से जो न्याय पंचायत से कराया गया था उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ । मान्यवर, फतेहपुर के मल्मा ब्लाक में कुछ कार्य ऐसे हैं जहां पर मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और यह कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी ने इस कार्य की अनुमति नहीं दी है जबकि बी0 डी0 ओ0 ने यह कार्य कराया है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह भुगतान कराने के आदेश देंगे और दूसरी बात यह कि फतेहपुर के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, फतेहपुर को 13 लाख 20 हजार रुपया दिया गया था । जहां तक भुगतान का प्रश्न है माननीय सदस्य लिखकर दे दें कि कहां पर किस गांव में किस योजना के अन्तर्गत मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है उसको हम दिलवा लेंगे ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, एक सवाल की मुझे भी इजाजत दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर काफी सवाल हो चुके हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इस समय सदन चल रहा है । माननीय सदस्य बी0 डी0 सी0 की मीटिंग्स में सदस्य के रूप में जाने जाते हैं । इन मीटिंग्स में जिनमें ग्राम सभाओं का चयन हुआ है

विधायकगण उसमें भाग नहीं ले पाये क्योंकि यहां सत्र चल रहा था तो जिन बी0 डी0 सीज0 में इन दिनों बैठकें करके उल्टे-सीधे जो निर्णय लिये गये क्या उनको माननीय मन्त्री जी निरस्त करके इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जब विधायकगण मौजूद रहें उस समय बी0 डी0 सी0 की मीटिंग कर ग्राम सभाओं को चयनित किया जाय ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

लगता है माननीय वर्मा जी को स्मरण नहीं है यह जो आदेश गांव सभाओं को धन देने के लिये गये हैं यह 19 जनवरी का आदेश है और उसमें यह भी कहा गया था कि एक हफ्ते के अन्दर बी0 डी0 सी0 की मीटिंग बुला ली जाये और उसमें गांवों का चयन कर लिया जाय । उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिन ब्लाक समितियों की बैठक सदन के चलते समय हुई हैं उन बैठकों में जिन गांवों को चुना गया उसे निरस्त करते हुये इस बात की व्यवस्था करेंगे कि पुनः बैठकें हों । क्योंकि सदन की कार्यवाही चलते समय बी0 डी0 सी0 की मीटिंगों में यह निर्णय लिया गया और सदस्य उसमें भाग नहीं ले सके ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि 19 जनवरी को यह आदेश दिये गये थे कि एक हफ्ते के अन्दर बैठक करके यह निर्णय ले लें । जहां उस समय के अन्दर बैठकें

नहीं हुई वहां जिलाधिकारियों ने स्वयं गांव का चयन करके सूखाराहत कार्य तेजी से प्रारम्भ करा दिया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

ग्राम सभाओं के कार्यकाल एवं चुनाव

*1––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री अशोक बाजपेयी, श्री सरदार सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री रान चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन तथा श्री बदन सिंह––

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान ग्राम सभाओं का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है और नये चुनाव कब तक करा देने का इरादा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

गांव सभाओं का नहीं अपितु वर्तमान गांव पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 9 अगस्त, 1988 तक बढ़ाया गया है । चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि शासन की यह नीति है कि जहां–जहां जनप्रतिनिधियों की संस्थायें हैं उन सब के चुनाव समय से न कराकर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि जिससे जनता की आस्था इनसे समाप्त हो जाय । अन्यथा एक साल का कार्यकाल बढ़ाने का क्या कारण था, क्यों समय से पूर्व चयन का कार्य पूरा नहीं किया गया । दूसरा मन्त्री जी ने कहा कि शीघ्र चुनाव करा देंगे तो उसका क्या तात्पर्य है क्या इसके लिये समय सारिणी निर्धारित कर ली गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

यह कार्यकाल पिछले वर्ष अगस्त में बढ़ाया गया क्योंकि 9 अगस्त के पूर्व पिछले साल चुनाव हो जाने चाहिये थे । 5 वर्ष पूरे होने पर गांव पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाये इसलिये एक वर्ष के लिये कार्यकाल बढ़ाया गया और यह कार्यकाल 9 अगस्त, 1988 तक चलेगा । इसे पुनः न बढ़ाया जाय इसीलिये शासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है ताकि 9 अगस्त के पूर्व ही गांव पंचायतों के चुनाव हो जायं । जैसा माननीय गुप्ता जी ने पूछा कि क्या समय सारिणी तैयार कर ली है । तो इस सम्बन्ध में विगत दिनों में एक अन्य सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि शासन का विचार है कि मई महीने में गांव सभाओं के चुनाव कराया जाना प्रारम्भ कर दिया जाय ।

श्री बदन सिंह––

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि गांव सभाओं के चुनाव का समय 9 अगस्त, 1988 तक बढ़ा दिया गया है और शीघ्र चुनाव कराने का प्रयास करेंगे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि निःसंदेह पिछली बार गांव सभाओं के चुनाव कराये थे लेकिन न न्याय पंचायतों के चुनाव कराये थे और न जिला परिषदों के चुनाव कराये

थे तो क्या गांव पंचायतों के अगले चुनाव कराने से पहले न्याय पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव करा देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चुनाव कराने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या यह प्रयास उसी तरह से है जिस तरह से नगरपालिकाओं के चुनाव और जिला परिषदों के गठन का प्रयास किया गया है । दूसरी बात समय एक साल बढ़ा दिया गया है, सिर्फ नामांकन के लिये और चुनाव तिथि घोषित करना है, तो तिथि घोषित न करने का क्या कारण है और क्या तारीख आपके दिमाग में है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, शासन के इरादे पर उनको विश्वास करना चाहिए चूंकि हमने कुछ कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है जैसे वोटर लिस्ट बन रही हैं, उसके छपाई के काम का निर्देश दे दिया गया है । जो ग्राम सभायें 1982 के बाद सृजित हुई थीं उनके परिसीमन का कार्य भी हो रहा है । चुनाव कबसे शुरू करायेंगे, जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, उसकी निश्चित घोषणा तभी कर सकेंगे जब वोटर लिस्ट तैयार हो जायेंगी और परिसीमन का कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, पंचायती राज में हमारी आस्था है । प्रधान मन्त्री, राजीव गांधी ने इस बारे में यह निर्देश दिये हैं कि पंचायती राज के चुनाव समय से करा दिये जायं । मैं जानना चाहता हूं कि कतिपय कारणों से चुनाव न कराये जा सके, तो वह कतिपय कारण क्या हैं और क्या निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, चुनाव सरकार करा रही है, ऐसी घोषणा सरकार कर चुकी है, तो कतिपय कारणों पर आप कहां जा रहे हैं ?

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक कांग्रेस सरकार ने प्रधानों या पंचायतों या किसी संस्था के चुनाव 10 साल से पहले नहीं कराये हैं, और जो मन्त्री जी कह रहे हैं और संदेह है जिससे तिथि की घोषणा नहीं कर रहे हैं कि 10 साल फिर चले जायं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इनकी यह वोटर लिस्ट के कार्य की प्रक्रिया कब समाप्त हो जायेगी और कब चुनाव प्रारम्भ हो जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय सदस्य को सरकार को बधाई देना चाहिए कि 10 साल के पहले कभी चुनाव नहीं हुये थे लेकिन श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार 10 साल से पहले चुनाव करा रही है, इसके लिये उनको बधाई देना चाहिए । जहां तक विश्वास की बात है श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जो जानते हैं कि सरकार चुनाव कराने जा रही है, श्री गुप्त जी को विश्वास है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन ग्राम पंचायतों के चुनाव में 18 वर्ष की आयु के लोगों को मताधिकार देंगे या 21 साल के लोगों को और मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी आज निश्चित तारीख की घोषणा कर दें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, 18 वर्ष की आयु के लोग इसमें वोट देने के अधिकारी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सभी सवालों की एक ही भावना है कि हम किसी एक तिथि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार जो चुनावों के बारे में घोषणा करती रही है उसको देखते हुए हमारी वही स्थिति है कि दूध की जली बिल्ली मठ्ठा फूंक-फूंक कर पीती है, इसलिये हमारी शंका है और सरकार को इसका बुरा भी नहीं मानना चाहिये, तो जो सभी माननीय सदस्यों ने सवाल पूछा है उनके आखिर में मैं यह जानना चाहूंगा, क्योंकि परिसीमन का कार्य और मतदाता सूचियों के मुद्रण का कार्य सरकार को ही कराना है, परिसीमन की कार्यवाही में कितना समय लगेगा और मतदाता सूची के मुद्रण में कितना समय लगेगा इसको देखकर वह यह बता दें कि वह कब तक इनके चुनाव करा देंगे और दूसरा प्रश्न इसी में यह है कि 9 अगस्त, 1987 को इसका कार्यकाल समाप्त हुआ और मेरी जानकारी के अनुसार इसका कार्यकाल बढ़ाने का नोटिफिकेशन दो माह बाद हुआ है और इस दो माह की अवधि में वह कार्य करती रही हैं, तो इस अवधि के बारे में क्या स्थिति है ? उनके द्वारा किया गया कार्य वैधानिक माना जायेगा या नहीं ? इन दोनों प्रश्नों के बारे में बताने की कृपा करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं तिथि की घोषणा तब की जा सकती है, जबकि हमारे वोटर लिस्ट की छपाई पूरी हो जाये और परिसीमन का कार्य पूरा हो जाये और हमने यह भी बता दिया कि मई माह में चुनाव शुरू हो जायेंगे । हमने तो इनको माह भी बता दिया तारीख को छोड़कर और तारीख की घोषणा तभी की जा सकती है जब यह दोनों कार्य पूरे हो जायं । दूसरे, जो उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने की अवधि के बारे में सवाल उठाया है, कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही नोटीफिकेशन हो गया था ।

*2--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[दिनांक 8 मार्च, 1988 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त ।]

प्रदेश में वर्तमान ग्राम सभाओं की कार्यावधि को एक वर्ष और बढ़ाने के निर्देश

*3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में वर्तमान गाँव सभाओं की कार्यावधि को एक वर्ष और बढ़ाने का तथा जून, 1988 में प्रधानों और पंचों के आम चुनाव को न कराने का फैसला किया है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो यह चुनाव कब तक अन्तिम रूप से सम्पन्न करा दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

गांव पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 9 अगस्त, 1988 तक बढ़ाया गया है । चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इन्होंने वोटर-लिस्ट छपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिसीमन का कार्य शुरू हो गया है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि परिसीमन का कार्य किस तारीख तक समाप्त करने का निदेश जारी किया गया था और वोटर लिस्ट की छपाई का कार्य किस तारीख तक छापकर देने का निर्देश किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

शासन ने इन दोनों प्रक्रियाओं को अप्रैल माह में पूरा करने के लिए कहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा है कि मतदाता सूची के प्रकाशन का काम शुरू कर दिया गया है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि मतदाता सूची के प्रकाशन का काम पूर्ण होकर प्रकाशन कब तक हो जाएगा और उसमें आपत्ति करने की आखिरी तिथि क्या होगी ? और जो आपने कहा है कि मई से चुनाव प्रारम्भ हो जायेंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव कई खण्डों में आप कराने वाले हैं ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैंने बताया कि मई महीने से चुनाव कराने का सरकार ने निर्णय लिया है, अब किन-किन तारीखों में होगा, उसका तो निर्णय बाद में होगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब है यह पूरी तौर पर इस बात को समझ रहे हैं । इन्होंने कभी भी समय से चुनाव नहीं कराए । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो समय से चुनाव करा रहे तो इनके दिमाग में कहीं यह तो नहीं है गांव-गांव में झगड़ा शुरू हो जायेगा और इसका लाभ इन्हें मिल जायेगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि चुनाव न हो ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

ग्राम पंचायत के चुनाव कराने के सम्बन्ध में जो मन्त्री ने वक्तव्य दिया है उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं तमाम ग्राम पंचायतों ने प्रार्थनापत्र दिए थे कि हमारे गांव को इस ग्राम सभाओं से पृथक कर दिया जाए, लेकिन फरवरी महीने में ऐसे आदेश निकले हैं कि माह दिसम्बर तक जिन लोगों ने प्रार्थनापत्र दे दिये हैं उन पर विचार किया जायगा ग्राम सभाओं से पृथक करने के लिए जिनके प्रार्थनापत्र बाद में आए हैं तो क्या मंत्री जी उन पर भी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इन ग्राम सभाओं को पृथक् करना संभव नहीं है नहीं तो हमें फिर परिसीमन भी करना पड़ेगा जिससे चुनाव जल्दी कराना संभव नहीं हो सकेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, हमेशा यह हुआ है कि ग्राम सभाओं के चुनाव तीन या चार चक्करों में कराये गये हैं तो मन्त्री जी बता हैं कि जो चुनाव का अन्तिम चक्कर होगा वह किस तारीख में होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

बरसात के पहले चुनाव हो जाये ऐसा प्रयास किया जायगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मई में इन्होंने चुनाव कराने की घोषणा कर दी है और कहा है कि प्रक्रिया आरम्भ हो गई है इसी बीच में जिला सहकारी बैंकों के भी चुनाव होने वाले हैं उनकी तिथियां भी मई में घोषित कर दी गई है, तो जिला सहकारी बैंकों के चुनाव होंगे उससे आप प्रभावित तो नहीं होंगे कि ग्राम समाओं के चुनाव स्थगित कर दें, तो ऐसी तिथि निश्चित की जायें कि दोनों चुनाव में क्लैस न हो ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता/रीडर/प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

*1--श्री कृष्ण कुमार--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता/रीडर/प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्राविधान है ? यदि हां तो क्या आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी आरक्षण का प्राविधान करने पर विचार करेंगे ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति नहीं ।

श्री कृष्ण कुमार--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्य स्कूलों की तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण एवं सरकारी सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1973 है उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, यू0 जी0 सी0 में कुछ गाइड लाइन 8 सितम्बर, 1975 को भेजी है उसके उत्तर में 11 अक्तूबर, 1976 को शासनादेश भेज दिया गया। वैसे हमने 31 दिसम्बर, 1981 को और 16 मई. 1983 को विश्वविद्यालयों से अभिमत मांगा है। यह शिक्षा से सम्बन्धित मामला है। यह यूनिवर्सिटी को करना है। यू0जी0सी0 ने जो लिखा है यह सारी प्रक्रिया मैकेनिकस यूनिवर्सिटी को करनी है, लेकिन हमने उन्हें फिर लिखा है।

श्री कृष्ण कुमार--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय उनके नियंत्रण में हैं या उनमें आई0 ए0 एस0 की पोस्टिंग होती है? अगर शासन का हस्तक्षेप है तो आरक्षण की सुविधा वहां पर जरूरी है।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

जैसा मैंने पहले निवेदन किया। यू0जी0सी0 ऐक्ट है उसी के अन्तर्गत यू0जी0सी0 द्वारा निर्देश उनको दिया जाता है। शासन अपनी तरफ से निर्देश देने की स्थिति में नहीं है। चूंकि उनके मन में चिंता है इसलिए मैंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया बन्द हो गई है। इसके ऊपर कोशिश चल रही है और उसका अभिमत मांगा गया है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह बड़ी खास बात है कि जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो यू0 जी0सी0 की एक पालिसी है। लेकिन एक पालिसी शासन की और एक पालिसी सरकार की भी होती है। हमने संविधान में यह प्राविधान रखा है कि इस तबके को उठाने के लिए एक माप दंड बनायेंगे। यू0जी0 सी0 हमारे देश की नीति से ऊपर नहीं है। यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमारी नीति के ऊपर नहीं है। यह सरकार जो गाइड लाइंस बना लेगी यू0 जी0 सी0 उन पर चलेगी।। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार या आपकी पार्टी की ऐसी नीति है या नहीं? अगर सरकार की नीति है तो उसकी रोशनी में यू0 जी0 सी0 रूल्स बनाये। हर जगह यू0 जी0 सी0 का सहारा लेकर ऐसे सवालों को दबाया नहीं जा सकता। यू0 जी0 सी0 सरकार की पाबन्द है या सरकार यू0 जी0 सी0 की पाबंद है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शासन की यह नीति है लेकिन यूनिवर्सिटीज, जो हैं वह तालीमी इदारे हैं। तालीमी इदारों के अन्तर्गत जहां तक यूनिवर्सिटीज का सवाल है वह यू0 जी0 सी0 एक्ट के तहत चलती हैं और यू0 जी0 सी0 ऐक्ट के तहत ही उन्होंने यूनीवर्सिटीज को लिखा है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अन्तर्गत यूनीवर्सिटीज और कालेजों में क्या एक ही वर्ग के लोगों को नौकरी देने का प्राविधान है। फैजाबाद

यूनीवर्सिटी में एक वर्ग के 1320 लोगों में से 1200 लोग एक ही वर्ग के हैं। वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। तो क्या मंत्री जी आप पूरे प्रदेश की यूनीवर्सिटीज के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए भारत के प्रधान मंत्री या भारत के शिक्षा मंत्री से इनमें आरक्षण की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। 1320 में से वहां पर केवल 12 अनुसूचित जाति के हैं। वहां पर अल्पसंख्यक, वगैरह नहीं हैं। डा0 सिंह ने अपने ही परिवार के लोगों को रखा दिया है। क्या उनको इसका अधिकार है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, देव जी की चिन्ता अपनी जगह पर सही है। शासन भी इसके लिये चिन्तित है। तालीमी इदारों और विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो उन्होंने बात कही है अपनी जगह पर सही है उनकी चिन्ता सही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, हम आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से संविधान से सम्बद्ध हैं और संविधान से परे कोई बात हमारे ऊपर लागू नहीं है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संस्थाओं में दुर्बल लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है और जब शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम यह समझेंगे कि संविधान की मूल भावना की पूरी तरह से रक्षा नहीं हो रही है। अब सरकार, वर्तमान परिस्थितियों म जब सामाजिक संघर्ष के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और समानता की बात आप भी मानते हैं, तो विश्वविद्यालय में आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों में पुनः लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उनकी चिन्ता स्वाभाविक है, शासन भी इसके लिए चिन्तित है। युनिवर्सिटीज को हमने अभी इसी महीने में भी लिखा गया है कि वह जल्द से जल्द अपनी अभिमत भेज दें और गाइड लाइन जो भेजी गयी है, उनके ऊपर विचार करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

अब शासन चिन्तित है, तो आप यह कह दीजिए कि इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

इसे तो हम देख ही रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)--

मान्यवर, गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुछ नियुक्तियों के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल जी ने उस चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए थे और वहां पर भी चयन किये गये थे, उस चयन के खिलाफ यहां के अध्यापक और रीडर ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे जो चयन किए गए, उनको निरस्त करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न मान्यवर यह है कि वहां के जो बी0 सी0 हैं, वह रिटायर होने जा रहे हैं, उनके रिटायर होने में केवल 4 महीने का समय शेष है। मान्यवर, विश्वविद्यालय के नियमों में यह प्राविधान है कि रिटायर होने के 4 और 6 माह पूर्व यह नियुक्ति करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। वहां पर मान्यवर, आज, कल और परसों, तीन दिन लगातार यहां पर इन्टरव्यू हो रहे हैं।

तो मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या वह यह आश्वासन देंगे कि इस समय जो नियुक्तियां वहां पर हो रही हैं, वे नियुक्तियां रोक दी जायंगी और इस समय वहां पर नियुक्तियां नहीं की जायंगी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, यह इस प्रश्न से परे हैं और एक विशेष विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हैं । मान्यवर, माननीय सदस्य अब इस प्रकार का प्रश्न भेजेंगे, सूचना एकत्र करके, उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया जायगा ।

ग्राउण्ड वाटर ऐक्ट, 1976 को प्रदेश में लागू कराने की मांग

*2—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात राज्य ने भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन एवं नियंत्रित उपयोग हेतु ग्राउण्ड वाटर ऐक्ट, 1976 राज्य में लागू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार जनहित में उक्त ऐक्ट के प्राविधानों का अध्ययन कराकर प्रदेश हित में लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रदेश में भू-गर्भ जल के नियन्त्रित दोहन एवं उपयोग के निमित्त प्रस्ताव शासन विचाराधीन है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में । मान्यवर, प्रश्न का जो पहला हिस्सा पूछा गया था, उसमें माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि जी नहीं । मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि सरकार को जानकारी है कि गुजरात राज्य ने भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन एवं नियंत्रित उपयोग हेतु ग्राउन्ड वाटर ऐक्ट, 1976 राज्य में लागू कर दिया ? माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि जी नहीं । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि गुजरात में ग्राउन्ड वाटर ऐक्ट, 1976 लागू है । इसके लागू होने का कारण भी यह रहा कि वहां पर अभूतपूर्व सूखा पड़ता रहा है तथा भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाता रहा । यही स्थिति हमारे प्रदेश की है, हमारे प्रदेश में अभूतपूर्व सूखा पड़ा तथा भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होता रहा, जिससे जल का स्तर गिर रहा है । इस कारण से क्या राष्ट्रपति के द्वारा लागू गुजरात ग्राउन्ड वाटर ऐक्ट, 1976 का अध्ययन कराकर उत्तर प्रदेश में इसकी उपयोगिता हो सकती है, उस पर विचार कर इस प्रकार का ऐक्ट उत्तर प्रदेश में भी लागू कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जो हमें सूचना प्राप्त है, उसी के अनुसार हमने उत्तर दिया है । गुजरात राज्य में ग्राउन्ड वाटर ऐक्ट, 1976 लागू किया है या नहीं, हमें तो सूचना यही है कि गुजरात राज्य में लागू नहीं किया गया है । वैसे इसको दिखवा लेंगे ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह गुजरात में लागू है तो यहां क्यों नहीं हो सकता ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जैसा इन्होंने कहा कि गुजरात में ऐक्ट लागू कर दिया गया है, हम इसे दिखवा लेंगे कि कैसे लागू किया गया है, किस प्रकार लागू किया गया है। मान्यवर, जहां तक प्रदेश सरकार का प्रश्न है, भूगर्भजल संसाधनों के नियंत्रण एवं नियमन (रेगुलेशन) के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्राउन्ड वाटर कन्ट्रोल एण्ड रेगुलेशन बिल, 1970 का प्रारूप राज्य सरकार को वर्ष 1971 में उपलब्ध कराया था, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने 6 सितम्बर, 1972 को राज्य में कृषि उत्पादन हेतु लघु सिंचाई साधनों के समुचित विकास तथा भूगर्भ जल स्रोतों का सुनियोजित उपयोग सुनिश्चित करने तथा तत्सम्बन्धी नीति निर्धारण करने के उद्देश्य से "राज्य भूगर्भ जल परिषद्" की स्थापना कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में किया था और यह राज्य भूगर्भ जल परिषद् जो बनाया गया था उसने उस प्रारूप का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ग्राउन्ड वाटर आर्डिनेन्स, 1977 में तैयार किया गया। उस समय मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। 1976 में सरकार ने विचार किया और निर्णय लिया कि अगर इस ऐक्ट को हम उत्तर प्रदेश में लागू करते हैं तो उससे किसानों का फायदा नहीं होगा क्योंकि सिंचन क्षमता की वृद्धि करनी है और इस ऐक्ट के लागू होने से सिंचन क्षमता की वृद्धि करने में कठिनाई होगी। इसलिये 1976 में शासन ने निर्णय लिया कि इस ऐक्ट को लागू न किया जाय, यही किसानों के हित में होगा।

मान्यवर, इतनी इधर समस्यायें आईं कि जो हमारा अन्डरग्राउन्ड वाटर है उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, पानी का स्ट्रेटा भी नीचे जा रहा है, तो अब शासन ने निर्णय लिया है कि क्या हम कोई ऐक्ट बना करके पानी के समुचित उपयोग के लिये कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, हमने राज्य भूगर्भ जल परिषद् का पुनर्गठन किया है कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसमें मान्यवर, 14 सदस्य होंगे—सचिव, क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, सचिव, सिंचाई विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रमुख अभियन्ता, नलकूप सिंचाई विभाग, निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक, सामान्य प्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ, निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद्, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ। मान्यवर, इस परिषद् का कार्य होगा—प्रदेश में भूगर्भ जल के सर्वेक्षण, अन्वेषण, विकास प्रबन्ध एवं नियमन से सम्बन्धित सभी प्रकरण, प्रदेश के विभिन्न भागों में निर्मित किये जाने वाले राजकीय तथा निजी लघु सिंचाई साधनों के निर्माण हेतु क्षेत्रों का निर्धारण, राजकीय नलकूप विभाग, लघु सिंचाई विभाग तथा भूगर्भ जल सर्वेक्षण के कार्यों की समीक्षा, केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् तथा राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। तो मान्यवर, इन कामों को यह परिषद् देखेगा और इस परिषद् से यह भी कहा गया है जो 1977 का आर्डिनेन्स तैयार किया गया था, इसका परीक्षण कर लें और मौजूदा क्या स्थिति है, हमारी भूगर्भ जल की, इसका आकलन करके यह परिषद् अपनी रिपोर्ट दे कि क्या इस आर्डिनेंस को लागू करने की इस प्रदेश में आवश्यकता है या नहीं ?

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मान्यवर, अभी केन्द्र सरकार ने, मान्यवर, केन्द्र के कृषि मंत्री माननीया श्रीमती कृष्णा शाही ने

26 फरवरी, 1988 को लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उन्होंने देश के प्रत्येक प्रान्त में एक माडल बिल भेजा है ग्राउन्ड वाटर के नियंत्रण के सिलसिले में, क्या वह उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो गया है । वह बिल क्या है, उसका प्रारूप क्या है क्रौर उस पर शासन का क्या विचार चल रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने उत्तर में पहले ही बताया कि एक प्रारूप भारत सरकार से प्राप्त हुआ था, 1970 में ग्राउन्ड वाटर कन्ट्रोल रेगुलेशन बिल का ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं 1988 की बात कर रहा हूं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वह नया प्रारूप अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, 26 फरवरी, 1988 को लोक सभा में बताया गया, क्या वह उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो गया है । अगर प्राप्त हो गया है तो वह क्या है, क्या उस पर अध्ययन कराकर ग्राउन्ड वाटर ऐक्ट लाग करने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, उसको दिखवा लेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मान्यवर, यही प्रश्न मेरा भी उठाया गया है अतारांकित प्रश्न संख्या 78 में, उस में माननीय मंत्री जी ने बताया कि बिल 1970 में प्राप्त हुआ था, तो आज 18 वर्ष हो गये, उस पर आज तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पायी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

आपकी सरकार ने निर्णय लिया था ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

उसके बाद भी 10 वर्ष हो गये । मेरी जानकारी है कि गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाड़, तीनों राज्यों में भी ऐक्ट बन गया है । उसका प्रमुख कारण यह है कि इन तीनों जगहों पर इसके निदेशक भूगर्भ जल के वैज्ञानिक हैं, जबकि आपके यहां सिविल इंजीनियर निदेशक हैं, इसीलिये, सिविल इंजीनियर अड़ंगेबाजी लगाकर नहीं होने देना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन तीनों प्रदेशों में भूगर्भवेत्ताओं को निदेशक पद पर नियुक्त किया गया और जिसके कारण वहां पर यह ऐक्ट लागू किया गया, क्या उत्तर प्रदेश में उसका अनुसरण करते हुये निदेशक पद पर किसी भूगर्भवेत्ता को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यहां पर निदेशक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसी कोई योग्यता का प्रतिबन्ध नहीं है ।

पौड़ी गढ़वाल जनपद में जिला परिषद् द्वारा कर्मचारियों पर सी० पी० टैक्स के निर्धारण का औचित्य

*3--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में जिला परिषद् द्वारा कर्मचारियों पर सी० पी० टैक्स के निर्धारण का औचित्य क्या है ? क्या यह टैक्स पूरे प्रदेश के कर्मचारियों से वसूल जाता है ? क्या इस औचित्यहीन टैक्स को समाप्त करने एवं पौड़ी जनपद के कर्मचारियों द्वारा इसके विरुद्ध शासन को दिये गये ज्ञापनों पर शासन द्वारा अब तक कोई निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिला परिषद, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 120 के अन्तर्गत इस कर को आरोपित कर रही है । यह आय का स्रोत है ।

यह कर प्रदेश के 29 जिला परिषदों में लागू है ।

विभव एवं सम्पत्ति कर जिला परिषदों की आय का स्रोत है, अतः इसका पूर्ण औचित्य है । पौड़ी गढ़वाल के कर्मचारियों द्वारा दिये गये ज्ञापनों के निस्तारण के लिये जिला परिषद् सक्षम नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अभी इस सत्र में पहले भी उठा था और सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी । मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल में इस अधिनियम के अन्तर्गत जब यह कर स्थापित किया गया था, तो मान्यवर, उसकी सीमा 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से जिन लोगों की आय थी, उन पर ही आरोपित किया गया था । अब आप देखेंगे कि 600 रुपये से बढ़ाकर 700, 800 रुपये चपरासी की तनख्वाह हो गयी है । इस रूप में सभी चपरासी और चौकीदार इस सीमा के अन्तर्गत कर देने के पात्र हो गये हैं ।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि क्या इन विशेष परिस्थितियों में जो मूल्य उस समय था और उसके आधार पर 600 रुपय जिनकी मासिक आय थी ऐसे ही स्तर पर लेकर कोई निर्णय पौढ़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी को देने की कृपा करेंगे केवल उन्हीं लोगों पर कर लिया जाय, जो सीमा के अन्तर्गत आते हैं । स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, अभी तक नियमों में जो प्राविधान है, उसमें कर योग्य आय 600/-रखी गयी है । लेकिन माननीय नौटियाल जी ने जो विचार के लिए अभी कहा, उससे हम

मान्यवर सहमत हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं कर योग्य की जो सीमा 6000रु0 है, सको बढ़ाकर 5,000 रु0 कर दिया जाय, इस पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

[सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1988 ई0 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फर्रुखाबाद के कठिन एवं गहरे बोरिंग वाले विकास खण्डों में डी0 सी0 रिंग मशीनों से नलकूपों के निर्माण की योजना कृषकों को उपलब्ध कराने की माँग

*1-श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के कठिन एवं गहरे बोरिंग वाले विकास खण्डों में डी0 सी0 रिंग मशीनों से नलकूपों के निर्माण की योजना कृषकों को उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो किन-किन विकास खण्डों को इसमें सम्मिलित किया गया है ? क्या बोरिंग के पूर्व भूगर्भजल सर्वेक्षण संगठन से साइटों के सर्वेक्षण हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। जनपद फर्रुखाबाद के समस्त विकास खण्डों में कठिन एवं गहरे बोरिंग हेतु डी0 सी0 रिंग मशीन से नलकूप निर्माण की योजना कृषकों को उपलब्ध कराई गई है। फर्रुखाबाद के किसी भी विकास खण्ड से किसी भी कृषक ने अभी तक डी0 सी0 रिंग मशीन से बोरिंग कराने हेतु पंजीकरण नहीं कराया है। अतः भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से साइटों के सर्वेक्षण हेतु धनराशि के प्राविधान का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, यह केवल फर्रुखाबाद का प्रश्न नहीं है, नीतिगत प्रश्न है, पूरे प्रदेश के लिए यह प्रश्न है। मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि 72 ऐसे कृषक हैं कानपुर में, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रुपया जमा कर दिया, फिर भी अभी वहां सर्वेक्षण के लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई शासन की तरफ से फर्रुखाबाद की बात मैंने प्रश्न में उठाई है। मेरे जनपद में कठिन एवं गहरे बोरिंग के लिए डी0 सी0 रिंग मशीन से व्यवस्था है, लेकिन उसका प्रचार व प्रसार नहीं किया जाता है, इस प्रचार प्रसार के लिए जनपद में धन का प्रविधान नहीं है, इसलिए लोगों को भली प्रकार जानकारी भी नहीं हो पाती है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें शासन की दोहरी नीति है। सरकारी ट्यूबवेल जो इस डी0 सी0 रिंग मशीन से बोरिंग कराये जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का एक हजार रु0 की धनराशि नहीं जमा कराई जाती है लेकिन अगर लघु कृषक अच्छी बोरिंग के लिए डी0 सी0 रिंग मशीन की व्यवस्था चाहता है तो उससे 1000 रु0 जमा कराए जाते हैं पहले। जब तक वह पैसे जमा नहीं होते हैं, सर्वेक्षण नहीं करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह दोहरी नीति समाप्त करने की घोषणा करेंगे ? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शासन से भी पहले वही 1000 रुपया जमा करायेंगे जैसा अन्य निजी लोगों से कराते हैं। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी प्रश्न है कि जो आप यह 1000 जमा कराते हैं, यह लघु सिंचाई विभाग में जमा कराते हैं, न वह भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में शीघ्र ट्रांसफर करते हैं और न लिस्ट भेजते हैं जिससे उस सम्बन्धित व्यक्ति

को कई चक्कर अपने कार्य के लिए लगाने पड़ जाते हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह 1000 रु0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में जमा कराए जायं ? इस सम्बन्ध में आश्वासन देने की कृपा करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कानपुर का जिक्र किया मान्यवर, कानपुर के बारे में तो प्रश्न था नहीं, कानपुर के लिए यह अलग से प्रश्न कर लेंगे तो उसका उत्तर दे दूंगा। मान्यवर, दोहरी नीति का कोई प्रश्न नहीं है। मान्यवर, जब सर्वेक्षण करायेंगे तो उसमें धन खर्च होता है और समय भी लगता है। अगर सर्वेक्षण के बाद फिर कृषक बोरिंग नहीं कराते हैं, तो फिर धन और समय की बरबादी होती है। सरकारी जो अधिष्ठान हैं, नलकूप और जल निगम, यह वही सर्वे कराते हैं, जहां पर काम करना है, सर्वे करके साइट दे दी जाती है और नलकूप विभाग या जल निगम के लोग वहां बोरिंग करके अपने काम को पूरा करते हैं।

मान्यवर, इसमें प्रतिबन्धित किया गया है। जब कोई किसान 1000 रुपया जमाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो उसके बताये हुये साइट का सर्वेक्षण करके उपयुक्त या अनुपयुक्त पाई गई साइट की विभाग द्वारा सूचना दी जाती है।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जिस तरह से फर्रुखाबाद की जमीन सख्त है, उसी प्रकार बुन्देलखंड में जमीन कठोर और पथरीली है, वहां पर ग्रेनाइट है। वहां पर बोरिंग में बड़ी परेशानी होती है। दो सौ फीट तक बोरिंग करने के पश्चात् भी कभी-कभी पानी नहीं मिलता। तो क्या मान्यवर, आप उन मशीनों की जगह आपको जो डी0 सी0 रिंग मशीनें हैं, उनकी व्यवस्था करेंगे ? और आप जो किसानों से 10 हजार रु0 जमा करवाते हैं और यदि बोरिंग होने के पश्चात् पानी नहीं मिलता, जबकि उनसे इतना अधिक पैसा लिया जाता है तो क्या आप 10 हजार रुपये के स्थान पर उसको एक हजार रुपया करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, किसान रजिस्ट्रेशन कराता है और 1000 रुपया जमा करता है, उसके बाद सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण में साइट उपयुक्त पाई जाती है, तो 10,000 रुपया पुनः जमा करवाया जाता है और इसके बाद लघु सिंचाई के लोग उस पर अपना काम शुरू करते हैं। अगर पानी मिल गया तो किसान को आधी धनराशि का अनुदान किन्तु अधिकतम 30,000 रुपया तक सरकार देती है और आधा किसान को देना पड़ता है यदि पानी नहीं मिलता है तो कुल लागत का 10% काटकर बाकी रुपया किसान को वापस कर दिया जाता है। वैसे सरकार 50 हजार रुपये तक का अधिकतम अनुदान देती है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, डी0 सी0 रिग्स मशीनों का मामला है। मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं और स्वयं भी जानकारी करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में डी0 सी0 रिग्स मशीनों को लेकर दूसरा बोफोर्स कांड होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 6 डी0 सी0 रिग्स मशीनें हैं और केवल 6 ही भूगर्भवेत्ता हैं। लेकिन मान्यवर, ऐसी जानकारी आई है कि 140 डी0 सी0 रिग्स मशीनों की खरीद के लिए दिल्ली की किसी फर्म को आर्डर दिए गए हैं और 25 लाख रुपये का कमीशन

आपके सचिव तथा उनके बीच तय हुआ है । इसको लेकर अभी कुछ खटपट भी हो चुकी है । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, जब यहां पर 6 ही भूगर्भ वेत्ता हैं, तो 140 मशीनों को एकदम से खरीद लेने से यह मशीनें बेकार पड़ी रहेंगी और जबकि बोर इक्यूपमेन्ट की व्यवस्था आपकी पूरी नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपके सर्वेक्षण करने वाले और नहीं आ जाते, तब तक यह जो 25 लाख रुपये का कमीशन खाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए 140 मशीन्स की खरीद को रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इसकी मुझे सूचना नहीं है, सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दीजिए, यह एक गम्भीर मामला है अन्यथा इसको स्थगित करवा दीजिए ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, स्थगन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इसमें 25 लाख रुपये का कमीशन लिया जा रहा है और यह एक गम्भीर सवाल है, इसको स्थगित करवा दें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, आप मूल प्रश्न को देखने का कष्ट करें । उसमें माननीय सदस्य ने पूछा था कि "क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के कठिन एवं गहरे बोरिंग वाले किसान खण्डों में डी0 सी0 रिंग मशीनों से नलकूपों के निर्माण की योजना कृषकों को उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो किन-किन विकास खण्डों को इसमें सम्मिलित किया गया है ।" इसका उत्तर दिया गया है "जी हां, । जनपद फर्रुखाबाद के समस्त विकास खण्डों में कठिन एवं गहरे बोरिंग हेतु डी0 सी0 रिंग मशीन से नलकूप निर्माण की योजना कृषकों को उपलब्ध कराई गई है ।" दूसरे भाग में माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या बोरिंग के पूर्व भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से साइटों के सर्वेक्षण हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर दिया गया "फर्रुखाबाद के किसी भी विकास खण्ड से किसी भी कृषक ने अभी तक डी0 सी0 रिंग मशीन से बोरिंग कराने हेतु पंजीकरण नहीं कराया है । अतः भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से साइटों के सर्वेक्षण हेतु धनराशि के प्राविधान का प्रश्न नहीं उठता है ।" अब माननीय सदस्य न मालूम किस मशीन की बात कर रहे हैं कि वह खरीदी जा रही है । मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्न का यथोचित उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष —

वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों को जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त किया जाय

*2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में हजारों बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान नौकरी न मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं जबकि जनपद में भारी संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान तथा सहायक अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां करके तथा नये स्कूलों को खोलकर ऐसे सभी बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को कब तक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

जी नहीं ।

प्राइमरी विद्यालयों में 40:1 के मानक के अनुसार सहायक अध्यापक के पद रिक्त नहीं हैं । प्रधान अध्यापक प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के आदेश दिये गये हैं । नियमानुसार जितनी नियुक्तियां सम्भव हैं, उन्हें भरने के आदेश भेज दिये गये हैं नये विद्यालय जिला योजना में होने वाले प्राविधान के अनुसार ही खुल सकेंगे ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनपद फैजाबाद में प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के और जूनियर हाई स्कूलों में कुल कितने पद रिक्त हैं और कितनों पर नियुक्ति करने के आदेश शासन द्वारा भेजे गये हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, सीनियर बेसिक विद्यालयों में 650 कार्यरत अध्यापक हैं । प्रधानाध्यापक हैं 85 और सहायक अध्यापक हैं 598 रिक्त पद है 12 व सहायक अध्यापकों के 52 पद हैं । इन 12 व 52 पदों पर नियुक्ति करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन 52 रिक्तियों के विरुद्ध फैजाबाद में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापक कितने हैं और कब से ये बेरोजगार हैं । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई भी भुखमरी के कगार पर नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन प्रशिक्षित बेरोजगार

अध्यापकों में ऐसे कितने लोग हैं, जो भूमिहीन परिवार के हैं और जिनके पास रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। उनको रोजगार देने के लिए कितने स्कूलों को खोलकर कितने अध्यापकों को रोजगार देने के लिये 1988-89 में सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक भूमिहीन अध्यापकों का प्रश्न है, उसका तो पता राजस्व विभाग से कराना पड़ेगा कि कितने बी0 टी0 सी0 प्राप्त युवक भूमिहीन हैं। जहां तक बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या है वह 1976 से 1984 तक 774 हैं। प्रतिवर्ष 50 लोगों को बी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है, इस प्रकार 1985-86 व 1987 तक डेढ़ सौ लोगों ने बी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रकार 774 और 150 को मिलाकर कुल 924 बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए अध्यापक बेरोजगार हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय तिवारी जी ने एक जिले का सन्दर्भ देकर एक अति महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब फैजाबाद जिले में 900 बेरोजगार हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में ऐसी ही स्थिति होगी, नये स्कूल खोलने का जहां तक सवाल है, पिछले वर्ष की तुलना में कम विद्यालय खोल रहे हैं, क्या ऐसी कोई योजना है कि बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापक जो हैं, पूरी फौज है हर साल 150 और तैयार हो जाते हैं, इनको खपा लिया जाय, इसके लिए आपकी योजना क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जैसे-जैसे नये विद्यालय खोलते जा रहे हैं, उसके अनुसार....।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि....

श्री अध्यक्ष—

आपने एक प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जो उत्तर दे रहे थे, आप बीच में बोल पड़े। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी बूटी संस्थान की स्थापना पर विचार

*3—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या शासन पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटी के विकास हेतु जड़ी-बूटी संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रहा है ? क्या रानीखेत में सन् 1949 में पूर्व मुख्य मंत्री पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त द्वारा स्थापित भेषज एवं जड़ी-बूटी विकास योजना का उसमें कार्यरत कर्मचारियों सहित विलीनीकरण करते हुए उपरोक्त संस्थान के रूप में विस्तार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां ।

जी नहीं, सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित संस्थान की अन्तिम रूपरेखा अभी निर्धारित होनी है ।

*4—श्री सरदार सिंह—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित] ।

*5—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

बुन्देलखण्ड में सूखे के अन्तर्गत भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को आंवटित धनराशि

*6—श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड में इस वर्ष के अभूतपूर्व सूखे के अन्तर्गत स्थल सर्वेक्षण हेतु भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को कितनी धनराशि जनपदवार आवंटित की गई है तथा कितने पद/खण्ड स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में स्थल सर्वेक्षण कार्य कराये जाने हेतु 54 पद/27 यूनिट स्वीकृत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

शासन के कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों के जिला परिषदों के तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेशों के अनुमन्य कराने में विषमता

*7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् लखनऊ की अनियमित नियुक्तियों को कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1918/75/क-1-78, दिनांक 18 अप्रैल, 1978 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार नियमित करने सम्बन्धी आदेश पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 7672 क/33-1-40-बी(1)-77, दिनांक 15 फरवरी, 1979 द्वारा पारित किये गये हैं तथा जिला परिषद् हरदोई के लिए निर्गत शासनादेश संख्या 9255-क/33-1-47/78, दिनांक 22 मार्च, 1979 के अन्तर्गत कार्मिक अनुभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप को केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू माना है, गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों पर नहीं ? यदि हां, तो शासन के एक ही विभाग के अधीन विभिन्न जनपदों में स्थित संस्थाओं के लिए उच्च आदेशों के अनुमन्य कराने में विषमता का क्या क्या आधार है ? शासन द्वारा इस प्रकार की विषमता को दूर कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

शासनादेश संख्या 7672-क/33-1-40-बी(1)-77, दिनांक 15 फरवरी, 1979 तथा 9255क/33-1-47/78, दिनांक 22 मार्च, 1979 निर्गत किए गए हैं।

तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1918/75/क-1/78, दिनांक 18 अप्रैल, 1978 के अनुरूप ही जिला परिषदों में दिनांक 1 जनवरी, 1977 के पूर्व तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किये जाने हेतु पंचायती राज अनुभाग-1 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश संबोधित करते हुए शासनादेश संख्या 9255(1)क/33-1-47-78, दिनांक 5 सितम्बर, 1979 निर्गत किया गया है तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 प्रख्यापित की गयी है।

शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत कर्मचारियों को पेन्शन योजना से लाभ

*8--श्री राज किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के वे कर्मचारी जो 31 मार्च, 1979 को अथवा वर्ष 1979 के माह जनवरी में सेवा निवृत्त हो चुके हैं, विभाग द्वारा स्वीकृत पेन्शन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिद्धे रजी)--

जी हां केवल नगरपालिका के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छोड़कर नगर महापालिका तथा जिला परिषद् से स्थानान्तरित कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देय है। नगरपालिका के शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से पेन्शन दी जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के छात्र छात्राओं के लिए बी0 एड0 और एल0 एल0 बी0 की कक्षाएं खोलने की मांग

*9--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के हजारों छात्र और छात्राओं के हित में फिरोजाबाद में बी0 एड0 और एल0 एल0 बी0 की कक्षाओं को खोलकर उक्त विषयों के अध्यापन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी--

जी नहीं।

औचित्य नहीं हैं।

*10--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मंनेजर सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उन्नाव की पुरवा तहसील में विकास भवनों व स्कूल भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत

*11--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के चमियानी तथा मगरागर ग्राम के विकास भवनों व प्राइमरी स्कूल भवनों तथा ग्राम बंजुआमऊ रावतपुर मार्ग व चमियानी कटहर रोड के निर्माण कार्य में लाखों रुपये के घपले के सम्बन्ध में मंत्री जी को प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रेषित दो पत्रों दिनांक 11 जून, 1987 जिसकी प्राप्ति मंत्री जी के पत्र संख्या वी 200/एम आर डी/87, दिनांक 18 जून, 1987 तथा संख्या बी-199/एम आर डी/87, दिनांक 18 जून, 1987 में स्वीकार किया है पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । इसकी जांच अधिशासी अभिन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराई गई जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई ।

*12--श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

वित्तीय वर्ष 1983-84, 1984-85 एवं 1985-86 की आडिट रिपोर्ट में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोरखपुर द्वारा वेतन से कटौती के बाद सम्बन्धित प्रावीडेण्ट फण्ड के धन को जमा न किया जाना

*13--श्री हर्ष वर्धन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84, 1984-85 एवं 1985-86 की लगातार 3 वर्षों से आडिट रिपोर्ट में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोरखपुर द्वारा वेतन से कटौती करने के बाद भी सम्बन्धित प्रावीडेण्ट फण्ड के धन को जमा न किये जाने का उल्लेख है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अत्यधिक विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

प्रशासनिक प्रक्रिया तत्परता से निर्धारित न होने के कारण विलम्ब हुआ । अब धन कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा किया जा रहा है ।

प्राथमिक विद्यालय भवनों में पेयजल, टाट पट्टी आदि अभावों को दूर करने की सुधार योजना

*14--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों की भवन, पेयजल, टाट-पट्टी, मेज, कुर्सी, श्यामपट आदि सम्बन्धी अभावों को दूर करने

के लिये सुधार योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत 1990 तक भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत भवनयुक्त विद्यालयों में साज-सज्जा की व्यवस्था की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री राजेश कुमार सिंह, राजकीय दीक्षा विद्यालय, बीसलपुर, जनपद पीलीभीत का इन्टरमीडिएट परीक्षा, 1985 का अंक पत्र

*16--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह जिनका अनुक्रमांक 573926 है राजकीय दीक्षा विद्यालय, बीसलपुर, जनपद पीलीभीत से सन् 1985 में इन्टरमीडिएट कृषि भाग 2 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया था ? यदि हां, तो श्री राजेश कुमार सिंह का अंक पत्र सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से अभी तक निर्गत न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं । श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, अनुक्रमांक 573926 का वर्ष 1985 की इन्टरमीडिएट कृषि भाग दो का परीक्षा केन्द्र एस0 आर0 एम0 इन्टरमीडिएट कालेज, बीसलपुर, पीलीभीत था । उक्त छात्र का परीक्षाफल अपूर्ण घोषित हुआ था न कि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अब परीक्षाफल पूर्ण करके अंक पत्र भेज दिया गया है ।

जनपद प्रतापगढ़ में दैनिक वेतन कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर उनके स्थान पर नये व्यक्तियों की नियुक्तियां

*17--श्री शारदा प्रताप--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जनपद प्रतापगढ़ में जो वर्ष 1982 में कार्यरत थे सेवामुक्त कर दिये गये हैं और इनके स्थान पर नये व्यक्ति रख लिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त जनपद की लालगंज तहसील में कितने ऐसे लोग सेवा मुक्त किये गये हैं और क्यों तथा कितने नये रखे गये हैं ? क्या ऐसे कर्मचारियों को मात्र 26 दिन का वेतन एक माह में दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

सभी दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नहीं वरन् अकर्मण्य श्रमिकों को हटाया गया है ।

6 दैनिक श्रमिक अकर्मण्यता के कारण हटाकर इनके स्थान पर नये श्रमिक रखे गये ।

श्रमिकों का मस्टर रोल रखा जाता है इस प्रकार भुगतान उपस्थिति के अनुरूप वास्तविक दिवसों के अनुसार होता है जो 26 दिन से कम और ज्यादा हो सकती है ।

*18--श्री सुखपाल पाण्डे--

[6 वें सोमवार के लिए स्थगित]

सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पेंशनर शिक्षकों को पेंशन पुनरीक्षण का लाभ

*19--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक पेंशनरों को जो 31 मार्च, 1979 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए उदारीकृत फारमूले से पेंशन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिला है ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सिविल पेंशनरों को 31 मार्च, 1979 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए राजाज्ञा सं0 सा0-3-1617-ए/दस-925-83, दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में उदारीकृत पेंशन फारमूले का लाभ 1 जुलाई, 1979 से दे दिया है किन्तु अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक पेंशनरों को जो 31 मार्च, 1979 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, उदारीकृत पेंशन फारमूले का लाभ नहीं मिल रहा है ? क्या मन्त्री जी अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी उक्त लाभ दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव के सफीपुर ब्लाक के बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध कार्यवाही

1--श्री सुन्दर लाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, लखनऊ मण्डल (श्री बृजेश कुमार) ने जनपद उन्नाव के सफीपुर ब्लाक के कुछ सम्पर्क मार्गों का निरीक्षण किया था जिसमें बी0 डी0 ओ0 (श्री पी0 एन0 मटेले) को दोषी पाया था और आयुक्त ने शासन को लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

श्री मटेले को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

2--श्री सुन्दर लाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरा विरोधी दल में दिनांक 13 अगस्त, 1987 को एक पत्र राज्य ग्राम विकास मंत्री जी को दिया था, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, सकीपुर (उन्नाव) (श्री पी0 एन0 मटेले) के विरुद्ध शिकायत की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या जांच हुई है और बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

श्री पी0 एन0 भटेले, खण्ड विकास अधिकारी, सकीपुर (उन्नाव) को निलम्बित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकार के छात्र कल्याण निधि समिति द्वारा छात्रों को अनुदान दिये जाने विषयक पत्र

3--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 648/86 व 649/86, दिनांक 21-7-86 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के छात्र कल्याण निधि समिति के द्वारा छात्रों को अनुदान दिये जाने विषयक पत्र मिले थे ? यदि हां, तो संवर्भित विषय पर दिनांक 5 जून, 1987 तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं. तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

स्थिति इस प्रकार है :

छात्र कल्याण निधि समिति के द्वारा छात्रों का अनुदान दिये जाने विषयक माननीय विधायक, श्री काशी सिंह ऐरी का केवल एक पत्र संख्या 649/86, दिनांक 27-1-86 शासन को प्राप्त हुआ था, जिसका अन्तरिम उत्तर माननीय विधायक को अ0 शा0 पत्र संख्या 606/15-14-86, दिनांक 14 फरवरी, 1986 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि समिति की बैठक में इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में नियुक्त अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति का आधार

4--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगें कि भूग-र्भ जल सर्वेक्षण संगठन में नियुक्त अधीक्षण अभियंता के पास तकनीकी डिग्री है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति का

आधार क्या है ? क्या शारदा सहायक समादेश में पुलों आदि का निर्माण भी गैर तकनीकी व्यक्तियों द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं । वर्तमान समय में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता के पास एम० एस-सी० जियोलांजी की डिग्री है जिन्हें श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्ति की गयी है ।

जी नहीं । शारदा सहायक समादेश परियोजना के अन्तर्गत पुलों का निर्माण नहीं किया जाता है ।

जनपद पिथौरागढ़ में कम जनसंख्या के आधार पर छोटी ग्राम सभायें व न्याय पंचायतें बनाने का प्रस्ताव

5--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वहां की विशिष्ट भौगोलिक पृष्ठ भूमि में छितरे गांवों को कम जनसंख्या के आधार पर छोटी ग्राम सभायें व न्याय पंचायतें बनाने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित कर दिये जायेंगे ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद पिथौरागढ़ में कतिपय नई ग्राम सभायें बनाये जाने के प्रस्ताव विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुये हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है ।

6-7--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या

8--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के कितने केन्द्र एवं उपकेन्द्र वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में कार्यरत थे और उन पर उक्त वर्षों में स्टेशनरी, प्रकाश, बोकस आदि पर क्या व्यय हुआ तथा प्रौढ़ शिक्षार्थियों की क्या संख्या रही ? जनपद आगरा में कितने केन्द्र कार्यरत है ?

श्री सिब्ते रजी--

शासकीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 1985-86 में 22,900 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा वर्ष 1986-87 में 26,800 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उपकेन्द्र चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

केन्द्रों के संचालनार्थ स्टेशनरी, प्रकाश, फोकस आदि मदों पर पृथक्-पृथक् रूप में स्वीकृति न देकर एक मुश्त धनराशि को आय-व्ययक में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की जाती है ।

वर्ष 1985–86 तथा 1986–87 में केन्द्रों के संचालनार्थ क्रमशः रु0 382.20 लाख ः 0 तथा 579.24 लाख रुपये का व्यय हुआ। ।

इन केन्द्रों पर प्रौढ़ शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 1985–86 में 6,86,515 तथा वर्ष 1986–87 में 8,32,442 रही ।

जनपद आगरा में इस समय शासकीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत खरोह खैरटिया, हरपुर मार्ग स्थायी खंड देवरिया के निर्माण में बकाया धनराशि का भुगतान

9—श्री रणजीत तथा श्री मंनेजर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत खरोह खैरटिया हरपुर मार्ग स्थायी खंड देवरिया के निर्माण के बकाया धनराशि भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्रांक 1172/ज0 पा0/87, दिनांक 1 । सितम्बर, 1987 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

दक्षिण गोरखपुर वन विभाग के सम्बन्धित प्रभागीय अधिकारियों द्वारा वन राजि अधिकारियों को धन का हस्तान्तरण

10—श्री हर्ष वर्धन—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग में वर्ष 1987–88 के दौरान सम्बन्धित प्रभागीय अधिकारी द्वारा कुल कितना धन 1 अप्रैल, 1987 से 31 अक्टूबर, 1987 के मध्य किन–किन तारीख को वन राजि अधिकारियों को हस्तान्तरित किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि सम्बन्धित धन की कार्य पूर्ति किन तारीखों में सम्बन्धित वन राजि अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी और कार्य कराने निमित्त सम्बन्धित धन कितनी अवधि तक किन वन राजि अधिकारियों के पास रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1987–88 के दौरान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 1987 से 31 अक्तूबर, 1987 के मध्य वन राजि अधिकारियों को हस्तान्तरित धन का विवरण संलग्नक–1 पर है ।

सम्बन्धित धन को कार्यपूर्ति कराये जाने की सूचना निम्न प्रकार है :—

रेंज	दिनांक
तिलकोनिया	29 फरवरी, 1988
बाँकी	30 नवम्बर, 1987
पकड़ी	31 दिसम्बर, 1987
फरेन्दा	29 फरवरी, 1988
कम्पियरगंज	31 दिसम्बर, 1987

कार्य कराने निमित्त वन राजि अधिकारियों के पास रोकड़ शेष का विवरण संलग्नक–2 पर है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 201 पर)

अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की भविष्य निधि में अनियमितता

11––श्री किशन लाल दिलेर––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर अलीगढ़ बेसिक शिक्षा परिषद् के करीब 200 अध्यापकों की भविष्य निधि से गत तीन वर्षों में विभागीय कर्मचारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके लाखों रुपया निकाला गया है जिसकी शिकायतें पत्रों द्वारा जांच के लिए सूचना मंत्री जी को दी गई ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी और जांच में कौन–कौन अधिकारी व कर्मचारी उक्त अनियमितता में लिप्त पाये गये और कितनी धनराशि फर्जी तौर पर निकाली गई ?

श्री सिब्ते रजी––

अध्यापकों के जी० पी० एफ० में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं ।

जांच करायी जा रहीं हैं । जांच पूरी होने के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

12––श्री शारदा प्रताप––

[दिनांक 14 मार्च, 1988 को अता० प्र० सं० 83 द्वारा उत्तरित]

पिथौरागढ़ में छोटे विकास खंड बनाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

13––काशी सिंह ऐरी––

क्या मुख्य मंत्री को जनपद पिथौरागढ़ में छोटे विकास खंड बनाने जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्रांक 625/86 दिनांक 25 जनवरी, 1986 एवं पत्रांक 820/81 दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 द्वारा धारचूला व मुनस्यारी तहसील में कम से कम दो विकास खंड खोलने के सम्बन्ध में उन्हें पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो इस विषय पर दिनांक 5 जून, 1987 तक क्या–क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 तहसील मुनस्यारी एवं धारचला में दो-दो विकास खंड सृजित करने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ था । जिस पर शासन के पत्र संख्या बी0 अ ई0 पी0 17/38/1-86/86 दिनांक 11 मार्च, 1986 द्वारा माननीय विधायक महोदय को सूचित किया जा चुका है कि शासन द्वारा वर्तमान समय में नवीन विकास खंड न सृजित करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री मनोहर दत्त ग्राम मन्डारी जनपद पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित जमतड़ धुरौली नौकरा सुरौली पेयजल योजना के निर्माण से पानी न मिलने की शिकायत

14—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मन्त्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक स्वायत्त/230-4/87 दिनांक 2 अप्रैल, 1987 द्वारा संलग्नक श्री मनोहर दत्त ग्राम मंडारी गांव पो0 मुआनी जनपद पिथौरागढ़ के द्वारा प्रेषित जमतड़ धुरौली नौकरा सुरौली पेयजल योजना के निर्माण पानी न मिलने की शिकायत विषयक पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त संदर्भ में दिनांक 11 जून, 1987 तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? इस हेतु श्री मनोहर द ो किन-किन माध्यमों से अपना पक्ष रखन को कब-कब बुलाया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक के पत्र के साथ श्री देव सिंह बिष्ट का पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1986 प्राप्त हुआ, जिस पर श्री मनोहर दत्त के भी हस्ताक्षर हैं । कुमायूं जल संस्थान द्वारा मार्च/अप्रैल, 1987 में योजना की मरम्मत कराकर पूर्ण रूप से पानी चलवा दिया गया था जो मई-जून, 1987 में भी सुचारू रूप से चला । कुमायूं जल संस्थान द्वारा श्री मनोहर दत्त से दिनांक 2 जनवरी, 1988 को किया गया ।

अवकाश प्राप्त सहायक विकास अधिकारी श्री रघुबीर सिंह सेंगर की पेन्शन व भविष्य निधि का भुगतान

15—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवकाश प्राप्त सहायक विकास अधिकारी श्री रघुबीर सिंह सेंगर की पेंशन व भविष्य निधि भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 3 सितम्बर, 1687 का प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय—

जी हां ।

श्री रघुबीर सिंह सेंगर सेवा निवृत्त सहायक विकास अधिकारी (आई0 एस0 बी0) को जिला विकास अधिकारी ललितपुर द्वारा अनन्तिम पेंशन व ग्रेच्युटी दिनांक 23 अक्तूबर, 1986 को पहले ही स्व ा की जा चुकी है । उनके अन्तिम पेंशन तथा अन्य देयों के भुगतान की स्वीकृति के ामले महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 18 अगस्त, 1986 एवं 12 दिसम्बर, 1986 को भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में स्थित जूनियर हाई स्कूल महबूबगंज का अधूरा निर्माण कार्य

16--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक म स्थित जूनियर हाई स्कूल महबूबगंज का भवन पिछले लगभग बीस वर्षों से निर्माणाधीन है और 2 कमरों की दीवारे तभी से बनकर खड़ी है और उस पर आज तक छत नहीं पड़ी तथा बरामदे पर जो छत पड़ी है वह इतनी जर्जर हैं कि बरसात में टपकती है और किसी भी समय उसके गिरने से भयंकर दुर्घटना हो सकती हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने तथा घटिया निर्माण कार्य को ठीक कराने का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । परन्तु भवन शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित न होने के कारण उसमें कार्य नहीं हो रहा है ।

सम्बन्धित ठेकेदार, जिसने कार्य अधूरा छोड़ दिया तथा जिला परिषद् फैजाबाद ।

निश्चित समय बताना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव के पेंशन में संशोधन की कार्यवाही

17--श्री मगौती सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1987 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव के पेंशन में संशोधन की कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

पेंशन के कागजात महालेखाकार के पास भेजे जा चुके हैं । और प्रकरण महा-लेखाकार कार्यालय में सम्प्रति लंबित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद लखनऊ वाया कुण्डा ऊंचाहार मार्ग के किनारों पर पेड़ों की छाल उतारे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

18—श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या वन मंत्री को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद, लखनऊ वाया कुड़ा ऊंचाहार मार्ग के किनारों पर हरे पेड़ों की छाल उतारकर पेड़ों को सूखा किया जा रहा है व अधि-कारियों की सांठ-गांठ से काटा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या पर्यवरण को रक्षा हेतु

तत्काल इसकी जांच कराकर हरे पेड़ों की रक्षा करने व अपराधियों को दंडित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

हरे वृक्षों को सूखा करने के उद्देश्य से छाल निकालने की बात सही नहीं है । वास्तविकता यह है कि इलाहाबाद, लखनऊ वाया कुंडा ऊंचाहार मार्ग के इलाहाबाद जनपद में पड़ने वाले मार्ग में पहले से सूखे तथा कटान हेतु छपे बारह वृक्षों के तने के निचले भाग की छाल स्थानीय ग्राम निवासियों द्वारा ईधन/जलौनी हेतु निकाली गयी है ।

उपरोक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता है ।

हलीम मुस्लिम इन्टर कालेज, कानपुर में वाणिज्य प्रवक्ता की अनियमित नियुक्ति की

19—श्री सुन्दर लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय नेता विरोधी दल विधान सभा का पत्रांक 1910/नेविद-विस-87, दिनांक 21 जुलाई 1987 जो हलीम मुस्लिम इन्टर कालेज, कानपुर में वाणिज्य प्रवक्ता की अनियमित नियुक्ति को रोककर राजस्व को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न होने के क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजा—

जी हां ।

उक्त नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया गया है । प्रकरण पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर से जांच करायी जा रही है । जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम आऊ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत पुलिया का निर्माण

20—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम आऊ में वर्ष 1985-86 अथवा 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन0 आर0 ई0 पो0) के तहत कोई पुलिया स्वीकृत हुई थी तथा उनके निर्माण के लिए धन भी आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो पूरी पुलिया के निर्माण के लिए कितना धन आवंटित किया गया था तथा अभी तक पुलिया निर्माण में कितना धन लगाया गया और कितनी पुलिया निर्मित हुई ? क्या यह सही है कि पुलिया निर्माण की पूरी आवंटित धनराशि खर्च हो चुकी है और पुलिया का निर्माण अधूरा पड़ा है ? यदि नहीं, तो क्या इस कार्य की जांच जनपद के किसी उच्च अधिकारी से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में विकास खंड नरैनी ग्राम आऊ में एक पुलिया के निर्माण हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा खंड विकास अधिकारी, नरैनी को 17,450.00 रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई थी जिसका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है ।

प्राक्कलन की अवशेष धनराशि भी आवंटित कर दी गई है जिससे निर्माण कार्य चल रहा है । निर्माण कार्य की जांच संबंधित अभिलेखों सहित प्रश्नकर्ता को सुविधानुसार कराई जा सकती है ।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी में अनियमित नियुक्तियां

21--श्री राजकिशोर सिंह--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी में श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती रीता चौबे तथा कुमारी नीता चौबे नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और क्या इनकी नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय व चयन समिति के माध्यम से की गई है ? यदि नहीं, तो इस गलत नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में केवल श्रीमती रीता चौबे नियुक्त हैं । श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं कुमारी नीता देवी की तदर्थ सेवायें पहले ही समाप्त की जा चुकी है । श्रीमती रीता चौबे 1 जुलाई, 1982 से कार्यरत हैं । इनकी नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय व चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई । इन्हें बाद में शासनादेश संख्या-5919 1981 कार्मिक-1 दिनांक 22 मार्च, 1984 के तहत नियमित कर दिया गया । तदर्थ नियुक्ति के शासनादेश के तहत नियमित कर दिया गया । अतएव उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण शारदा सहायक समादेश मण्डल, प्रतापगढ़ में नियुक्त श्री ओम प्रकाश तिवारी, ड्राइवर को पद से हटाया जाना

22--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनजर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री ओम प्रकाश तिवारी पुत्र राजा राम तिवारी को उप निदेशक, भूमि संरक्षण शारदा सहायक समादेश मण्डल (द्वितीय), प्रतापगढ़ में सन् 1983 में जीप ड्राइवर के पद पर तदर्थ नियुक्त किया गया था जिसे फरवरी, 1984 में बिना किसी कारण के निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्री ओम प्रकाश तिवारी 1983 में जीप ड्राइवर के पद पर तदर्थ नहीं बल्कि नियमित रूप से पूर्णतया अस्थाई तौर पर नियुक्त किए गए थे । यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई थी तथा उसे किसी भी समय बिना सूचना अथवा नोटिस के बदले एक माह के वेतन पर समाप्त किया जा सकता था । उप निदेशक, शारदा सहायक प्रतापगढ़ मण्डल

द्वितीय द्वारा श्री तिवारी की सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न पाये जाने पर सेवा 1984 में नियमानुसार समाप्त कर दी गई ।

निजी लाभ हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के निदेशक द्वारा संस्कृत भवन के वृक्षों का कटान और अनियमित नियुक्तियां

23--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के निदेशक ने संस्कृत भवन के बहुत से हरे वृक्षों को कटवाकर उसकी सम्पत्ति को निजी लाभ का साधन बना लिया है और वहां पर पुराने कर्मचारियों को निकाल कर बहुत सी अनियमित की हैं ? यदि हां, तो निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी ने संस्कृत भवन के बहुत से हरे वृक्षों को कटवा कर उसकी सम्पत्ति को निजी लाभ का साधन बनाया । कुछ सूखे तथा एक दो शहतूत के पेड़ जिन्हें दीमक लग गए थे तथा जो बेडौल हो गये थे, उन्हें कटवाकर चार नये पेड़ "अशोक पेन्डुला" लगवाये गए । इन पेड़ों की लकड़ी को नीलाम किया गया तथा प्राप्त धनराशि को अकादमी के खाते में जमा किया गया ।

यह भी सही नहीं है कि निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी ने अकादमी के पुराने कर्मचारियों को निकालकर अनियमित नियुक्तियां की हैं । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में जिला परिषद् द्वारा अनावश्यक सड़कों का प्राक्कलन

24--श्री अफजाल अंसारी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जिला परिषद् द्वारा अनावश्यक सड़कों का प्राक्कलन तैयार करके जनहित के बदले ठेकेदारों के हित के लिए कार्य कराया जाने और कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सड़कों के चुनाव में मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 448/87 दिनांक 30 अक्तूबर, 1987 जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री महोदय यह निदेश देने का कष्ट करेंगे कि गवर्निंग बाडी की स्वीकृति के बिना नयी सड़कों पर कार्य न कराया जाय और न ही उस मार्ग पर धन आबंटित किया जाय जिसको स्वीकृति गवर्निंग बाडी ने न दी हो ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रधान ग्राम सभा रिछोहा ब्लाक जगनेर जनपद आगरा द्वारा अपने ग्राम रिछोहा में बनाई जा रही बंधी में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

25--श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान (भगवान दास) ग्राम सभा रिछोहा ब्लाक जगनेर जनपद आगरा में अपने ग्राम रिछोहा में बनाई जा रही बंधी में

व्याप्त भ्रष्टाचार तथा निर्माण कमजोरियों सम्बन्धी कई शिकायती पत्र मुख्य मन्त्री, ग्राम्य विकास मन्त्री को दिनांक 2-7-85, 3-8-85, 22-7-87 तथा सचिव, ग्राम्य विकास विभाग व आयुक्त आगरा को दिनांक 18-8-87 में भेजे गये पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव जिले के आर0 आर0 बी0 एन0 इण्टर कालेज, भगवत नगर के अध्यापकों से आर0 डी0 खाते के लिए धनराशि वसूली के विरुद्ध कार्यवाही

26—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के आर0 आर0 बी0 एन0 इण्टर कालेज, भगवत नगर के अध्यापकों से आर0 डी0 खाते के लिए धनराशि वसूली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त धनराशि खातों में नहीं जमा की गई है ? यदि हां, तो क्या इसी सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1987 मिला है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जांच के बाद ही सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दे दिया गया है ।

27—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित ।]

जनपद मैनपुरी, तहसील जसराना के शिव आदर्श इण्टर कालेज, पंड़त तथा जनता इण्टर कालेज, जसराना के भ्रष्टाचार की शिकायत

28—श्री बलवीर सिंह यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 दिसम्बर 1987 को मण्डल की मीटिंग में इनके तथा मुख्य मन्त्री के सामने जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के शिव आदर्श इण्टर कालेज, पंड़त तथा जनता इण्टर कालेज, जसराना से भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें की गईं थीं और उसी सम्बन्ध में यह सुझाव भी दिया गया था कि वहां का सेन्टर समाप्त कर दिये जायें ? यदि हां, तो अभी तक सेन्टर खत्म करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

तहसील जसराना के शिव आदर्श इण्टर कालेज, पंड़त तथा आदर्श जनता इण्टर कालेज, जसराना विद्यालयों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई शिकायतें इस वर्ष परिषद् कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः शिकायतें प्राप्त न होने की दशा में इन केन्द्रों को समाप्त करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जयनारायन इन्टर कालेज, वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

29--श्री राज किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जय नारायन इन्टर कालेज, वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये सर्वदलीय संघर्ष समिति, वाराणसी का ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी, 1988 जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से एवं प्रश्नकर्ता द्वारा उप शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी को उक्त ज्ञापन की पृष्ठांकित प्रतिलिपि क्रमशः शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, सचिव उत्तर प्रदेश मा0 शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जांच से सम्बन्धित प्रगति की स्थिति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा जांच की जा चुकी है। जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

विकास खण्ड मऊ, जिला बांदा के अन्तर्गत ग्राम सभा पूरब पताई में खड़ंजा लगाने एवं प्राइमरी पाठशाला की मरम्मत में घांधली की जांच

30--श्री राम सजीवन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मऊ, जिला बांदा के अन्तर्गत ग्राम सभा पूरब पताई में सन् 1982 से 1986 तक खड़ंजा लगाने के लिए छब्बीस हजार रुपये और प्राइमरी पाठशाला की मरम्मत के लिए साढ़े तेरह हजार रुपये प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो प्रस्तावित तीन सौ मीटर के स्थान पर केवल सौ मीटर खड़ंजा लगाने तथा स्कूल की इमारत की दीवारों पर दरार पड़ जाने के क्या कारण हैं ? क्या सम्पूर्ण निर्माण का सत्यापन किसी अधिकारी से करा कर जांच करके दोषी व्यक्तियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद बांदा के विकास खण्ड मऊ की ग्राम सभा पूरब पताई को वर्ष 1982 से 1986 तक खड़ंजा लगाये जाने हेतु रुपये 24,000 तथा प्राइमरी पाठशाला की मरम्मत हेतु रुपये 13,500 प्रदान किये गये थे ।

ग्राम सभा का मूल प्रस्ताव 450 मीटर स्थान पर खड़ंजा लगाने का था जिस पर 45,000 रु0 का व्यय अनुमानित था । आलोच्य अवधि में खड़ंजा हेतु ग्राम सभा को 24,000 रु0 स्वीकृत किये गये जिससे 100 मीटर स्थान पर नहीं बल्कि 250 मीटर खड़ंजा लगाया गया है । स्कूल की इमारत की दीवारों की मरम्मत कराई गई थी, जिससे जोड़ पर समयान्तर्गत दरारें पड़ गई थीं, जिसकी भी मरम्मत करा दी गई है । अब दरार सम्बन्धी कोई दोष नहीं है ।

सम्पूर्ण निर्माण कार्य की जांच ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा प्रशासनिक जांच खण्ड विकास अधिकारी, मऊ से कराई गई और निर्माण कार्य में कोई त्रुटि नहीं पाई गई । अतः किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

31--श्री राम सजीवन--

[छठें मंगलवार में अता० प्र० सं० 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खण्डासा, फैजाबाद के प्रबन्धक तन्त्र के विरुद्ध इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव

32--श्री मित्रसेन--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० 20 एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 94 (अ) के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खण्डासा फैजाबाद के प्रबन्धक तन्त्र के विरुद्ध इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 (घ) एवं 16 घ (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद एवं शिक्षा निदेशालय को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जांच हेतु विद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डा (2) के अन्तर्गत एक नोटिस निदेशालय के पत्र दिनांक 14-9-87 द्वारा भेजी गई थी । किन्तु अब विद्यालय द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाने के कारण इन आरोपों पर अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह गई है । शिकायती-पत्रों पर जांच कर कार्यवाही करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को निदेशालय द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा श्री राम चन्द्र मौर्य को बहाल मान कर पूर्ण वेतन भुगतान के आदेश

33- श्री मित्रसेन--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 15-6-87 द्वारा श्री राम चन्द्र मौर्य को बहाल मानकर पूर्ण वेतन भुगतान के आदेश पारित कर दिये हैं ? यदि हां, तो किस अवधि से किस अवधि तक का वेतन भुगतान किया गया और कुल कितनी धनराशि का भुगतान हुआ ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

फरवरी, 1988 तक श्री मौर्य को केवल जीवन निर्वाह भत्ता का ही भुगतान किया गया है । पूर्ण वेतन एवं दिये गये जीवन निर्वाह भत्ते के अन्तर की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण

34—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पुर्नगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश सं0 511 (एम) 54-3-1800/84, दि0 3-12-84 द्वारा गठित समिति ने 26 फरवरी, 1986 का अपनी आठवीं एवं अंतिम बैठक की रिपोर्ट के पैरा नं0 1 के बिन्दु सं0 1 एवं विस्तृत रिपोर्ट के पृष्ठ सं0 3 के पैरा सं0 10 के अनुसार सिविल इन्जीनियरिंग जियोलाजी जियोफिजिक्स को "कम्पोजिट विंग" में रखते हुए सम्मिलित वरिष्ठता सूची का प्राविधान रखा था ? यदि हां, तो वर्तमान निदेशक किस आधार पर संवर्गवार पृथक्-पृथक् सूची बनाने की कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या इस मूलभूत परिवर्तन पर कमेटी के सदस्यों से परामर्श एवं अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । सम्पूर्ण प्रकरण विचाराधीन है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में आगामी वित्तीय वर्षों में खारे पानी की सान्द्रता ज्ञात करने का कार्य विभिन्न क्षेत्रीय खण्डों को आवंटित किया जाना

35—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र के आठवीं सोम के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्यरत रसायनिक प्रयोगशाला क्या खारे पानी की सान्द्रता ज्ञात करने का कार्य करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आगामी वित्तीय वर्षों में खारे पानी की सान्द्रता ज्ञात करने का कार्य विभिन्न क्षेत्रीय खण्डों को आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

आगामी वित्तीय वर्षों में खारे पानी की सान्द्रता अर्थात् भूजल गुणवत्ता ज्ञात करने का कार्य संयुक्त रूप से क्षेत्रीय खण्डों एवं रसायनिक प्रयोगशाला द्वारा यथावत् किया जायेगा ।

जनता इण्टर कालेज एट, जिला जालौन की प्रबन्ध समिति को भंग करके साधिकार नियन्त्रक नियुक्त किये जाने की संस्तुति का क्रियान्वयन

36—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जनता इण्टर कालेज एट, जिला जालौन की प्रबन्ध समिति की शिकायतों की जांचोपरान्त तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक, झांसी ने लगभग तीन वर्ष पूर्व प्रबन्ध समिति भंग कर साधिकार नियन्त्रक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो उस संस्तुति पर क्या शासन ने पूर्व प्रबन्ध समिति को भंग कर पूर्व प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक को ही साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही न हीं उठता ।

37--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित ।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनाये गये मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की मांग

38--श्री विजय सिंह राणा--

वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 164 के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनाये गय मार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए शासन द्वारा प्रकरण विचाराधीन स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या शासन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बताये गये मार्गों को सा० नि० वि० को हस्तान्तरित करने की कृपा करेगा ताकि उनकी वार्षिक देख रेख व मरम्मत हो सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

वर्ष 1986-87 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु 452·03 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है । स्थानीय आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों की सहमति से इन मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जा सकता है ।

बलिया जनपद के सीयर, नगरा व रतनपुरा विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण व मरम्मत

39--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बार-बार मांग के बाद भी बलिया जनपद के सीयर, नगरा व रतनपुरा विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण व मरम्मत के कार्य पूर्ण नहीं किये गये ? वर्ष 1984-85 1985-86 व 1986-87 में निर्मित व मरम्मत किये गये भवनों का सत्यापन कराते हुए क्या सरकार शेष सभी विद्यालय भवनों का निर्माण व मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

जी नहीं ।

सम्पूर्ण 68 भवनहीन प्राइमरी पाठशाला निर्माणाधीन हैं व 67 भवनों की मरम्मत हो गयी है ।

जी हां ।

व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

19--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा मैनेजर सिंह--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित ।]

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी के ग्राम बड़ुआ में कूप का निर्माण

41--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी से ग्राम बड़ुआ में वर्ष 1983-84 में हरिजन कूप हेतु 7,500 रु0 दिया गया ? यदि हां, तो इस धनराशि के व्यय का वितरण क्या है ? क्या यह सच है कि 15 अक्तूबर, 1987 तक उक्त कूप का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

वर्ष 1982-83 में विकास खण्ड धानी के ग्राम बड़ुआ में हरिजन कूप निर्माण हेतु 5,750 00 रुपये तथा शेड निर्माण हेतु 1,896·00 रुपये कुल 7,946·00 रुपये आबंटित किया गया था । उपलब्ध करायी गई धनराशि से उक्त कूप का निर्माण जमीन की सतह तक करा दिया गया है । कूप जनता द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है । प्रश्नगत कूप के जगत प्लास्टर तथा शेड का निर्माण अपूर्ण रहने के कारण सम्बन्धित ग्राम्य विकास अधिकारी के विरुद्ध अवशेष धनराशि की वसूली एवं अन्य उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में विलम्ब

42--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में से 31 अक्तूबर, 1987 तक कितने कार्य अपूर्ण थे ? इन सम्बन्धित कार्यों के कार्य अधिकारी को कार्य कराने हेतु धन किन तारीखों को दिया गया तथा अत्यधिक विलम्ब की दशा में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फरवरी 1964 में नियुक्त अप्रशिक्षित प्रा0 अध्यापकों को प्रशिक्षित होने के बाद उनकी प्रोन्नति के लिए वरीयता

43--श्री गया प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी 1964 में नियुक्त अप्रशिक्षित प्रा0 अध्यापकों को प्रशिक्षित होने के बाद उनकी प्रोन्नति के लिए वरीयता

उसी तिथि से देंगे ? यदि हां, तो उनको आर्थिक क्षतिपूर्ति भी देने पर विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

ज्येष्ठता प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की तिथि से अवधारित की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हाई स्कूल स्तर तक के विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जीव विज्ञान, विज्ञान तथा विज्ञान सहायक के पद सृजित करने की अनुमति

44—श्री गया प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल स्तर तक प्रदेश में जिन विद्यालयों को विज्ञान वर्ग की मान्यता दी जा चुकी है, उन विद्यालयों के लिए जीव विज्ञान, विज्ञान तथा विज्ञान सहायक के पद सृजित करने की अनुमति देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

संस्थाओं में रिक्त पदों को विज्ञान अध्यापक के पद में परिवर्तित करने की सुविधा है ।

सम्प्रति प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से आयोजनेत्तर पक्ष के नवीन पदों का सृजन सम्भव नहीं है ।

ग्राम सिलहरी, जनपद बदायूं, वि० ख० दहगवां में जू० हा० स्कूल खुलवाने की मांग

45—श्री नरेश पाल सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सिलहरी, जनपद बदायूं, वि० ख० दहगवां में कोई जू० हा० स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो अगले सत्र 1988-89 में स्कूल खुलवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

ग्राम सिलहरी, विकास खन्ड दहगवां, जनपद बदायूं में कोई परिषदीय जूनियर हाई स्कूल नहीं है परन्तु वहां पर एक मान्यता प्राप्त जनता जूनियर हाई स्कूल है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मुरादाबाद के सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यों का निरीक्षण

46—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 86 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि

प्रश्नगत कार्यों का निरीक्षण किन-किन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है तथा उनकी संख्या क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत कार्यों का निरीक्षण श्री नैपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा किया गया है। माननीय सदस्य ने किये गये कार्यों पर सन्तोष व्यक्त किया है।

आर्य कन्या इन्टर कालेज, इटावा की सेवा मुक्त अध्यापिकाओं की संख्या तथा उनके पेन्शन का भुगतान

47—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्य कन्या इन्टर कालेज, इटावा की कितनी अध्यापिकायें वर्ष 1978 से 1987 तक सेवा मुक्त हो चुकी हैं ? क्या मंत्री जी ऐसी अध्यापिकाओं की सूची सदन के पटल पर रखेंगे जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है ? उक्त अध्यापिकाओं को पेंशन भुगतान के आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

तीन अध्यापिकायें सेवा निवृत्त हुयीं।

केवल एक अध्यापिका श्रीमती सुशीला भटनागर को पेंशन नहीं मिल रही है।

श्रीमती भटनागर की नियुक्ति विद्यालय में 14 अगस्त, 1969 को हुई थी और वह 30 जून, 1979 को सेवा निवृत्त हुयीं। चूंकि उनकी अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से कम है, अतः नियमानुसार उन्हें पेन्शन देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स स्टार पेपर मिल, सहारनपुर हेतु जनपद अल्मोड़ा के द्वारा— हाट बनराजि के क्षेत्र में उखललेख कम्पार्टमेन्ट नं0 14 में से प्रकाष्ठ की निकासी

48—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट बनराजि क्षत्र में उखललेख कम्पार्टमेन्ट नं0 14 में 1980-81 के लिए स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को निर्धारित छपान की गई लकड़ी में से 19 मार्च, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक प्रतिमाह कितने कुन्तल लकड़ी का वन क्षेत्र से निष्कासन किया गया ? इस हेतु अन्तिम निकासी किस तिथि को की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मेसर्स स्टार पेपर मिल, सहारनपुर हेतु जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वन राजि के उखललेख कम्पार्टमेन्ट नं0 14 में से 19 मार्च, 1981 से 31 दिसम्बर 1981 तक प्रति माह निम्नानुसार प्रकाष्ठ की निकासी दी गई :—

माह		मात्रा (कुन्तल में)
मार्च,	81	1181.05
अप्रैल,	81	
मई,	81	2710.40
जून,	81	2956.20
जुलाई,	81	962.70
अगस्त,	81	1748.10
सितम्बर,	81	6521.15
अक्तूबर,	81	3556.35
नवम्बर,	81	5598.15
दिसम्बर,	81	7907.25

इस हेतु प्रकोष्ठ की अन्तिम निकासी 17 मई, 1982 को की गई ।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में सेवारत/सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के अवशेष वेतन का भुगतान

49-श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में सेवारत/सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के अवशेष पावनों के पूर्व समीक्षा की स्वीकृति हेतु बिल किस-किस कर्मचारी के कितनी धनराशि के किस तिथि से भुगतान हेतु दिनांक 15 जनवरी, 1988 के पूर्व लम्बित हैं और क्यों ? क्या यह लम्बित बिलों का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय में सेवारत/सेवा-निवृत्त कर्मचारी में कुमारी शान्ति श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशिका, डी० डब्लू० सी० आर० ए० के मु० 2944-60 के यात्रा भत्ता देयक (15-4-87), श्री के० पी० मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक के अवशेष वेतन देयक रु० 228.95 (17-8-87) तथा श्रीमती शिवरानी, सहायक लेखाकार के अवशेष वेतन देयक रु० 3025.55 (17-12-87) दिनांक 15 जनवरी, 1988 के पूर्व स्वीकृत हेतु लम्बित थे । इन देयकों पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करके पूर्व समीक्षा की स्वीकृत पारित कर दी गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास निदेशालय में मुख्यालय पर अधिकारियों के पदों की संख्या

50--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास निदेशालय में मुख्यालय पर अधिकारियों के कुल कितने पद हैं ? वह किस-किस कैडर के हैं ? क्या कैडर के अनुसार ही उन पर अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्राम्य विकास निदेशालय में मुख्यालय पर अधिकारियों के कुल 36 पद हैं । वह आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, लेखा एवं ग्राम्य विकास कैडर के हैं । 34 पदों पर संवर्ग के अनुसार तैनाती की गई है ।

ग्राम्य वि ास निदेशालय के मुख्यालय पर उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त के साथ-साथ एक-एक खन्ड विकास अधिकारी सम्बद्ध किये जाने का औचित्य

51-श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास निदेशालय के मुख्यालय पर उपायुक्त (मुख्यालय) सहायक आयुक्त (मुख्यालय) एवं सहायक आयुक्त (प्रशासन) के साथ एक-एक खन्ड विकास अधिकारी सम्बद्ध किए जाने की प्रथा कब से लागू है तथा इसका क्या औचित्य है ? क्या शासन ऐसे अधिकारियों को तत्काल स्थानान्तरित कर इन पदों पर योग्य प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्राम्य विकास निदेशालय के मुख्यालय पर उपायुक्त (मुख्यालय) सहायक आयुक्त (मुख्यालय) एवं सहायक आयुक्त (प्रशासन) के साथ एक-एक खन्ड विकास अधिकारी सम्बद्ध किए जाने की कोई प्रथा लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खन्ड विकास अधिकारी दहगवां (बदायूं) के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

52-श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 जनवरी, 1987 को खन्ड विकास अधिकारी (निलम्बित) दहगवां (बदायूं) ने कोई प्रार्थना पत्र तत्कालीन आयुक्त को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

शिकायती पत्र प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित लिपिक से निलम्बित खण्ड विकास अधिकारी दहगवां (बदायूं) से सम्बन्धित अनुशासनिक कार्यवाही की पत्रावली से ली गई है तथा आरोपों के सम्बन्ध में जांच विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गवर्निंग बाड़ी शाहजहांपुर की मीटिंग सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

53–श्री नवाब सिकन्दर अली खां––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1987 जो कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर को सम्बोधित है और गवर्निंग बाडी शाहजहांपुर की मीटिंग से सम्बन्धित है, पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1987 के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी मावलखेड़ा के साथ अपर जिलाधिकारी (परि0) ने प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया तथा क्षतिग्रस्त मार्ग को पुनः ठीक कराकर पुलिया का निर्माण करा दिया गया है ।

योगेश्वर ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहान रोड लखनऊ के प्रशासन के सम्बन्ध में ज्ञापन पर कार्यवाही

54–श्री मित्रसेन––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योगेश्वर ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ के प्रशासन के सम्बन्ध में मा0 मान्धाता सिंह एम0 एल0 सी0 का ज्ञापन दिनांक 9 जनवरी, 1988 जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका षष्टम मन्डल लखनऊ तथा शिक्षा सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दुओं पर शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी––

जी हां ।

जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करने के उपरान्त प्रधानाचार्य को इस आशय के निर्देश दिए जा चुके हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से केवल नियमानुसार ही कार्य लिया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती अशरफ इमाम सदस्य विधान सभा के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

55–नवाब सिकन्दर अली खां––

क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अशरफ इमाम सदस्य विधान सभा के शिकायती–पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1987 बाबत वक्फ शाहजहांपुर 61,

41, 42 व 45 ए की प्राप्ति, सचिव सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को हुई ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

पत्र में दिए गए सुझाव के अनुसार वक्फ संख्या 41, 42 और 61 शाहजहांपुर का आडिट किए जाने के आदेश बोर्ड द्वारा अपने सम्बन्धित आडिटर को दे दिए गए हैं । अन्य शिकायतों की मौके पर जांच के लिए सम्बन्धित सर्किल इन्स्पेक्टर को निर्दिष्ट किया गया है ।

वक्फ संख्या 45 ए, शाहजहांपुर के मुतवल्ली के विरुद्ध कारवाई एवं आरोपों की सुनवाई हेतु मामला अध्यक्ष, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत किया जा चुका है ।

बरहज विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी पर आरोप की जांच

56--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरुण कुमार मिश्र, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बरहज मण्डल देवरिया द्वारा उनके नाम प्रेषित पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1988 जिसमें बरहज विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (एम0 आई0) पर आरोप लगाए गए थे तथा जनता के शिकायती पत्र भी संलग्न थे, जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई और उसके क्या निष्कर्ष है ? यदि नहीं, तो जांच न कराए जाने का कारण क्या है ? जनहित में सरकार क्या आरोपों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई (प्रथम) देवरिया एवं खण्ड विकास अधिकारी बरहज, देवरिया से जांच कराई गई । जांच में शिकायतकर्ता द्वारा दर्शाये गए कृषकों से विस्तृत पूछ ताछ तथा बयान लिए गए सभी शिकायतकर्ता कृषकों ने बयान दिए कि उन्होंने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है और जो शिकायत दर्शाई गई है वह सही नहीं पाई गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

शिव लखन (आदिवासी हरिजन) निवासी ऊसरीमाफी तहसील मऊ जिला बांदा की लकड़ियों को वन विभाग द्वारा जबरदस्ती उठवाने के विरुद्ध कार्यवाही

57--श्री राम सजीवन--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव लखन पुत्र महादेव कोल (आदिवासी हरिजन) निवासी ऊसरीमाफी तहसील मऊ, जिला बांदा ने गांव सभा बरगढ़ में आराजी न0 14 रकबा 9-13-0 व आराजी नं0 15 रकबा 4-10-0 के पट्टे की जमीनों से छोटी-छोटी झाड़ियों और जड़ों को खोदकर सफाई की थी तथा जमीन

को खेती योग्य बनाने से प्राप्त लकड़ियों को अपने घर पर रख लिया था ? यदि हां, तो क्या 21 सितम्बर, 1986 को बरगढ़ वन रेंज के अधिकारी व कर्मचारीगण उसके खेत की लकड़ियों को उसके घर से जबरदस्ती ट्रेक्टर में भरकर उठा ले गए हैं तथा परिवार और औरतों के मना करने पर गाली गलोज किया ? क्या उक्त कोल ने इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, करवी को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उक्त गरीब को लकड़ियां दिलाने तथा दोषी कर्मचारियों को दन्डित करने की कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई है ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री शिव लखन पुत्र महादेव कोल (आदिवासी हरिजन) तथा पांच अन्य लोगों द्वारा आराजी नं0 14 व 15 नहीं, अपितु आराजी नं0 67 व 69 से लकड़ी काटी गई थी तथा वह वृक्ष सेजा के थे, जिनका पातन वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए, अपराध है ।

दिनांक 21 सितम्बर, 1986 को उक्त लकड़ी को पकड़कर बरगढ़ रेन्ज के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा ट्रैक्टर में भरकर रेन्ज के कार्यालय बरगढ़ ले जाया गया । श्री महादेव कोल के परिवार और औरतों के साथ कोई गाली-गलोज नहीं हुई ।

उक्त कोल द्वारा इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, करवी को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया । इस सम्बन्ध में छः अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट करवी के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है । चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः प्रकरण की पुनः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी में स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मानपुर के प्रधानाचार्य श्री प्यारे लाल वर्मा का वेतन भुगतान

58-श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला मानपुर (विकास खंड बंकी) के प्रधानाचार्य श्री प्यारे लाल वर्मा का अप्रैल 1983 से अगस्त 1983 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि भुगतान बिल दिनांक 20 दिसम्बर, 1984 को पास हो चुका है ? यदि हां, तो भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को दन्डित करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

श्री प्यारे लाल वर्मा, प्रधानाध्यापक का अप्रैल 1983 से अगस्त 1983 की अवधि के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

झांसी जिला के मोठ तहसील में राजकीय कन्या इन्टर कालेज खोले जाने की मांग

59-कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के मोठ तहसील केन्द्र पर क्षेत्रीय जनता क्षेत्रीय विधायक सांसद की मांग पर राजकीय कन्या इन्टर कालेज

खोले जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मोठ में राजकीय कन्या विद्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी—

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इसके लिए कोई योजना नहीं है ।

झांसी जनपद में भवनहीन बेसिक प्राइमरी विद्यालय

60—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में कितने बेसिक प्राइमरी विद्यालय हैं और उनमें से कितने विद्यालय भवनहीन हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भवन-हीन विद्यालयों में कितने विद्यालय 1947 से पूर्व के खुले हैं ? वर्ष 1947 के बाद से अब तक कितने नये विद्यालय भवन बनवाये गए तथा कितने विद्यालय आज भी भवनहीन हैं ? क्या भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इनका नवीन भवन निर्माण शीघ्र कराये जाने के आदेश शासन करेगा ? यदि हां, तो इन सभी का नवीन भवन निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी—

झांसी जनपद में 825 प्राइमरी विद्यालय हैं ।

138 भवनहीन विद्यालय हैं ।

16 विद्यालय वर्ष 1947 से पूर्व के खुले हैं ।

वर्ष 1947 के बाद 77 विद्यालय भवन बनवाये गये 138 विद्यालय आज भी भवनहीन हैं ।

भवनहीन विद्यालयों के नवीन भवन का निर्माण जिला योजना में सम्मिलित है । केन्द्र सरकार की योजना है कि प्रदेश के सभी भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण 1990 तक हो जाय ।

61—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

62—श्री आशोक बाजपेयी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

शिवकुमार सिंह सेवा-निवृत पंचायत सेवक विकास खण्ड करछना

जनपद इलाहाबाद के बकाया भुगतान

68—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करगे कि शिव कुमार सिंह, सेवा निवृत पंचायत सेवक, विकास खण्ड करछना, जनपद इलाहाबाद के बकाया भुगतान के सम्बन्ध

में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 श्री शिवकुमार सिंह के प्रार्थना-पत्र सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी श्री शिवकुमार सिंह के समस्त देयों का भुगतान कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है । सम्बन्धित देयों के भुगतान के सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

बन निगम करवी (बांदा) से तेन्दू पत्ता की तुड़ाई की मजदूरी न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

64--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ब, 020992, 26 अगस्त, 1987 बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम सढ़ा के श्री शफी मोहम्मद के पत्र के साथ वन निगम करवी से तेन्दु पत्ता की तुड़ाई की मजदूरी न मिलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

तहसील नरैनी जिला बांदा के जानवरों को स्थानीय पहाड़ों में चरने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी पत्र

65--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग-027014, दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 बांदा जनपद के तहसील नरैनी के थाना कालिंजर के ग्राम सभा सढ़ा मजरा ढोलबजा के श्री राम किशोर सिंह आदि के पत्र के साथ सूखे की स्थिति को देखते हुये जानवरों को स्थानीय पहाड़ों में चरने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां प्राप्त हुआ ।

स्थानीय ग्रामवासियों को शासनादेश संख्या 4316/14-3-87, दिनांक 19 अगस्त, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार चराई के लिए खुले वन क्षेत्रों में जानवरों को निःशुल्क चरने की सुविधा पहले से ही प्रदान की जा चुकी थी । वृक्षारोपण क्षेत्रों में केवल घास काटने की निःशुल्क अनुमति प्रदान की गई । अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर अलग से किसी कार्यवाही का अवसर नहीं था ।

विकास खण्ड फतेहपुर, मंडाव, जनपद आजमगढ़ के ग्रामों में वन विभाग द्वारा उपर लगाये गये वृक्ष

66--श्री विष्णु देव--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 व 1986-87 में विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव, जनपद आजमगढ़ में किन-किन ग्रामों में वन विभाग की ओर से कितने-कितने वृक्ष लगाये गये तथा उन पर अलग-अलग कितना धन व्यय हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आजमगढ़ जनपद के फतेहपुर मंडाव विकास खण्ड में वर्ष 1985–86 व 1986–87 में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों एवं उस पर हुये व्यय का ग्राम सभावार/क्षेत्रवार/मार्गवार विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 205 पर ।)

जनपद चमोली में तल्ला नागपुर क्षेत्र के लिये मन्दाकिनी नदी से लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण

67—श्री बलराम—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में तल्ला नागपुर क्षेत्र के लिये मन्दाकिनी नदी से लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ? योजना पर कितना अनुमानित व्यय होगा तथा इससे कितनी जनसंख्या लाभान्वित होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

7.18 करोड़ रुपये के लागत की पुनर्गठन योजना विरचित की गयी है, जिसका अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

सहायता प्राप्त एल0 टी0 कालेजों के पेंशन समानता विषयक–पत्र पर कृत कार्यवाही

68—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त एल0 टी0 कालेजों के पेंशन समानता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 30 जुलाई, 1984 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नकर्ता का दिनांक 30 जुलाई, 1984 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

उपर्युक्त पत्र के प्राप्त न होने के कारण उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

परन्तु प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों में समानता की स्वीकृति का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

नवाब सिकन्दर अली खां सदस्य, विधान सभा के दिनांक 1 अप्रैल, 1987 के पत्र की कार्यवाही

69—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 1987 (अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में प्राप्त तिथि 2अप्रैल, 1987) पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सन्दर्भगत पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 1987 जनता इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के श्री मोहन लाल अरोरा (सहायक अध्यापक) तथा श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल (प्रवक्ता) को परीक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में था ।

श्री मोहन लाल अरोरा को वर्ष 1988 हेतु हाई स्कूल का परीक्षक बना दिया गया है । श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल को परिषद् के नियमानुसार वर्ष 1985 व 1986 के दो वर्ष के व्यवधान समाप्त हो जाने पर भी वर्ष 1987 व 1988 में ज्येष्ठता क्रम में न आने के कारण परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सका ।

आजमगढ़ के नियोजन विभाग के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के देयों का भुगतान

70--श्री विष्णु देव--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के नियोजन विभाग में 1 अप्रैल, 1987 से 30 जून, 1987 तक कितने कर्मचारी सेवा-निवृत्त हुए तथा उनमें से अब तक कितने को लीव इनकेशमेंट, ग्रेच्युटी व पेंशन निर्धारण की कार्यवाही व इन्श्योरेन्स का भुगतान अब तक कर दिया गया है और कितने का होना शेष है तथा शेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद आजमगढ़ के नियोजन विभाग में 1 अप्रैल, 1987 से 30 जून, 1987 तक 3 कर्मचारी सेवा-निवृत्त हुए । इनमें से एक को नगदीकरण, अनन्तिम पेंशन व ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई है । शेष 2 की सेवा-पुस्तिका प्राप्त करके स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है । तीनों को बीमा भुगतान के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है । मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ को कथित तीनों सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के समस्त देयों के नियमानुसार भुगतान हेतु तत्परता से कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा के मरचूला नामक स्थान पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जाने की मांग

71--श्री पूरन सिंह माहरा--

क्या सरकार को ज्ञात कि मुख्य मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री जी ने जनपद अल्मोड़ा के मरचूला (सल्ट) नामक स्थान पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने हेतु स्वास्थ्य सचिव को लिखित आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय बीत जाने पर भी इस ओर कोई कार्यवाही न होने के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ? यह स्वास्थ्य उपकेन्द्र कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अल्मोड़ा के मरचूला (सल्ट) नामक स्थान पर उपकेन्द्र खोले जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । उपकेन्द्र की स्थापना जिला योजना है तथा जनपद अल्मोड़ा में

उपकेन्द्र खोले जाने हेतु जिला योजना 1988-89 में लक्ष्य निर्धारित हो चुके हैं। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत यथावश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़, जसरा कौंधियारा चाका तथा करछना के भवनहीन विद्यालय

72—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़, जसरा, कौधियारा, चाका तथा करछना के कौन-कौन से प्राइमरी विद्यालय भवनहीन हैं तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड में इनके भवन किस वर्ष में निर्मित करा दिये जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

विकास खण्ड	भवनहीन विद्यालयों की स्थिति
शंकरगढ़	11
जसरा	5
कौंधियारा	7
चाका	6
करछना	16

वर्ष 1990 तक भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण की योजना है।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 1980-81 से 1987-88 तक विकास खण्डों में वर्षवार खोले गये प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल

73—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में 1980-81 से 1987-88 में वर्षवार कौन-कौन से प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल किन-किन विकास खण्डों में खोले गये हैं ? इनमें कौन-कौन से विद्यालय भवन सहित खोले गये हैं तथा कौन-कौन से भवन रहित खोले गये ? कौन-कौन से विद्यालय का भवन निर्माण अब तक नहीं हुआ है, यह कब तक बना दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूची संलग्न है।

भवन निर्माण पूर्ण होने का समय बताना सम्भव नहीं है यह निर्माण एजेन्सियों की क्षमता पर निर्भर करता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 207 पर।)

जनपद देवरिया के ग्राम सभा बालकुंवा तथा पहाड़पुर में स्थित जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत

74--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया, ग्राम सभा बालकुंआ में स्थित जूनियर हाई स्कूल तथा विकास क्षेत्र बैतालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पहाड़पुर में स्थित जूनियर हाई स्कूल के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 7 जुलाई, 1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

जी हां ।

ग्राम सभा बालकुंआ में स्थित जूनियर हाई स्कूल के विशेष मरम्मत हेतु ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 के माध्यम से आगणन बनवाकर तथा ग्राम शिक्षा समिति से पारित कराकर प्रस्तुत करने हेतु आदेश सम्बन्धित प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को दिया गया है ।

तत्कालीन मरम्मत हेतु 5,000 रुपये का आवंटन भी कर दिया गया है ।

विकास क्षेत्र बैतालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पहाड़पुर में जूनियर हाई स्कूल भवनहीन है जिसके लिये भवन बनवाने हेतु भूस्थल एवं धन सम्बन्धित निर्माण इकाई को 22 दिसम्बर, 1987 को दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती की श्रीमती मनोरमा देवी, श्रीमती द्रोपदी, श्रीमती झिनकी, क्रमशः कन्या प्राइमरी पाठशाला, भैंसठ, कन्या पाठशाला डडवाघाट तथा प्राइमरी पाठशाला डडवाघाट की दाइयों के वेतन प्राथमिक विद्यालयों के सेवारत दाइयों के समान वेतनमान

75--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी श्री शिव चरन, श्रीमती द्रोपदी पत्नी श्री गया, श्रीमती झिनकी पत्नी श्री दीना नाथ, क्रमशः कन्या पाठशाला, भैंसठ, कन्या प्राइमरी पाठशाला, डडवाघाट तथा प्राइमरी पाठशाला, डडवाघाट में दाई का कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो कब से और प्रत्येक को दस और बीस रुपया मासिक वेतन देने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इनके वेतन को प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत दाइयों के वेतन के समान करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

जी हां ।

श्रीमती मनोरमा देवी, अप्रैल 1968, श्रीमती द्रौपदी देवी 10 दिसम्बर, 1973 एवं श्रीमती झिनकी देवी दाई 15 दिसम्बर, 1979 से दाई के पद पर कार्यरत हैं

इन्हें 10 रु0 और 20 रु0 प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जा रहा है । शासनादेश संख्या 2137/15-5-81-446/70, दिनांक 20 फरवरी, 1983 के परिपेक्ष्य में अंश-कालिक कर्मचारियों को 30 रु0 प्रतिमाह अनुमन्य पारिश्रमिक देने हेतु पुनः निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया के अन्तर्गत विकास क्षेत्र देसहीं में स्थित जूनियर हाई स्कूल, लालकुंआ तथा विकास क्षेत्र बेतालपुर में स्थित जूनियर हाई स्कूल, पहाड़पुर के भवनों की मरम्मत

76--श्री रणजीत तथा श्री मंनेजर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत विकास क्षेत्र देसही में स्थित जूनियर हाई स्कूल, लालकुंआ तथा विकास क्षेत्र बेतालपुर में स्थित जूनियर हाई स्कूल, पहाड़पुर के भवनों के मरम्मत करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र, दिनांक 7 जुलाई, 1987 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त दोनों पाठशालाओं के भवनों के मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

विकास क्षेत्र देसही में स्थित जूनियर हाई स्कूल बालकुआं के भवन मरम्मत हेतु आगणन प्राप्त नहीं हुआ तथा विकास क्षेत्र बेतालपुर में स्थित जूनियर हाई स्कूल, पहाड़पुर का अपना भवन नहीं है अतः उस विद्यालय के भवन मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भूतपूर्व लिपिक श्री कौशल किशोर की विना पद सृजित किये नियुक्ति की जिम्मेदारी

77--श्री शिव दर्शन--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के चौथे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भूतपूर्व लिपिक श्री कौशल किशोर की नियुक्ति क्यों की गयी थी जब कि कार्यालय में पद सृजित नहीं थे ? यह नियुक्ति किसके द्वारा की गयी और कौन अधिकारी/कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार है ? उनको निकालने के बाद आज तक कितनी नियुक्तियां की गयीं तथा उन छटनी शुदा कर्मचारियों को अब तक न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

त्रुटिवश ।

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी और वे स्वयं ही इसके लिये जिम्मेदार हैं ।

6 नियुक्तियां की गयी थीं उनको लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनकी छटनी नहीं की गयी थी ।

केन्द्र द्वारा भूमिगत जल के नियन्त्रित एवं सुनियोजित उपयोग हेतु भेजे गये बिल का प्रारूप प्रदेश सरकार द्वारा सदन में न लाया जाना

78--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1970 में केन्द्र द्वारा भूमिगत जल के नियन्त्रित एवं सुनियोजित उपयोग हेतु एक बिल का प्रारूप प्रदेशीय सरकार को भेजा गया था ? यदि, हां, तो उक्त बिल के प्रारूप में कितने बिन्दु उठाये गये थे ? वे कौन से कारण थे कि आज तक प्रदेश सरकार द्वारा उक्त बिल को सदन में नहीं लाया गया ? क्या वर्तमान सूखे एवं राष्ट्रीय जल नीति के परिपेक्ष्य में भूमिगत जल संसाधनों के नियोजित एवं नियन्त्रित उपयोग हेतु कोई बिल लाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, भूमिगत जल के नियन्त्रित एवं सुनियोजित उपयोग हेतु केन्द्र सरकार ने एक बिल का प्रारूप वर्ष 1970 में प्रदेश सरकार को भेजा था, जिसमें कुल 23 बिन्दु थे ।

वर्ष 1976 में उक्त बिल के प्रारूप के आधार पर प्रस्तावित ऐक्ट पर गठित राज्य भूगर्भ जल परिषद् की बैठक में विचार किया गया । उस समय प्रदेश के भूगर्भ जल की उपलब्धता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी प्रकार के नियमन की आवश्यकता हो ।

जी हां । भूमिगत जल के यथोचित दोहन के नियन्त्रण एवं नियमन के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश शासन द्वारा अपने प्रदेश में राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा आई० आर० डी० पी० एवं डी० पी० ए० पी० योजना से क्रियान्वित कराये जाने पर विचार

79--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश शासन में भूजल विभाग द्वारा आई० आर० डी० पी० एवं डी० पी० ए० पी० योजनायें क्रियान्वित करायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश शासन भी अपने प्रदेश में राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा उक्त योजनायें क्रियान्वित कराये जाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इस विभाग में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के भूजल विभाग द्वारा आई० आर० डी० पी० एवम् डी० पी० ए० पी० योजनायें क्रियान्वित करायी जा रही हैं अथवा नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के सेवा-निवृत्त प्रधानाध्यापक, श्री दूधनाथ तिवारी एवं ज्ञानपुर यूनिट के सेवा-निवृत्त समस्त अध्यापकों के देयों का भुगतान

80--श्री राज किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी के ज्ञानपुर कार्यालय द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूल गिर्द बड़गांव के 30 जून, 1980 को सेवा-निवृत्त प्रधानाध्यापक को दूधनाथ तिवारी तथा ज्ञानपुर कार्यालय से संचालित अन्य प्राइमरी जूनियर पाठशालाओं के इसी प्रकार सेवा-निवृत्त अध्यापकों के भविष्य निधि (प्राविडेन्ट फंड) की संचित धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

श्री दूधनाथ तिवारी एवं ज्ञानपुर यूनिट के 30 जून, 1980 तक सेवा निवृत समस्त अध्यापकों (प्राइमरी/जूनियर पाठशालाओं के) भविष्य निधि (प्राविडेन्ट फंड) का पूर्ण भुगतान दिनांक 30 जून, 1987 को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठा ।

जिला विद्यालय गाजीपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

81--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय गाजीपुर में व्याप्त, भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिक्षा राज्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 मार्च 1986 के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि जांच करायी गयी, तो किसके द्वारा और इस जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

माननीय विधायक का एक पत्र दिनांक 12 मार्च, 1986, जो जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर के विषय में था, शासन को प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र की प्रति जांच आख्या भेजने के लिये शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को भेज दी गयी थी ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

बाबा मंगलदास-जूनियर हाई स्कूल अकोरिया, ब्लाक शंकरगढ़, इलाहाबाद में फर्जी अध्यापक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

82--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा मंगलदास जूनियर हाई स्कूल अकोरिया, ब्लाक शंकरगढ़, इलाहाबाद जो एक अनुदानित संस्था है, में प्रबन्धकीय विवाद के प्रकरण की जाँच के समय विद्यालय, फर्जी अध्यापक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पाये जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा न किये जाने का क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी, बारा ने भी अपनी जाँच आख्या तथा कार्यवाही की जो संस्तुति की है, वह क्या है ? इस संस्था में कार्यरत

अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुमोदन विवरण क्या है ? क्या शासन तत्काल कार्यवाही करके उक्त संस्था में साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी—

प्रश्नगत विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद पर नहीं बल्कि फर्जी अध्यापकों के बारे में शिकायत प्राप्त हुयी थी । मामले में जांच पूर्ण न होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी । परगनाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों अथवा सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की संस्तुति की गई । विद्यालय से प्राप्त अभिलेखानुसार सूची संलग्न है जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ . . . पर)

बाबा मंगलदास जूनियर हाई स्कूल अकोरिया, शंकरगढ़, इलाहाबाद को स्थायी मान्यता

83—रमाकान्त मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा मंगलदास जूनियर हाई स्कूल अकोरिया शंकरगढ़, इलाहाबाद को स्थायी मान्यता किस वर्ष मिली तथा किस वर्ष अनुदानित हुआ ? अनुदानित होने के वर्ष तथा इस वर्ष में हरिजन तथा सामान्य छात्रों की संख्या में भिन्नता का क्या कारण है ? अनुदानित होने के वर्ष में इसके 5 कि० मी० की परिधि में कितने मान्यता प्राप्त विद्यालय थे और अब कितने विद्यालय और मान्यता प्राप्त हो गये हैं ? क्या यह सही है कि कागज में फर्जी छात्रों की बड़ी संख्या बनाकर अनुदान लिया गया ? यदि हां, तो अनुदान की वापसी की कार्यवाही विभाग करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी—

प्रश्नगत विद्यालय को वर्ष 1982-83 में स्थायी मान्यता प्राप्त हुई तथा वर्ष 1984-85 में जुलाई, 1984 से इसे अनुदान सूची पर लिया गया ।

प्रश्नगत दोनों वर्गों के छात्रों की संख्या में ह्रास आसपास विद्यालयों की संख्या बढ़ने के कारण हुआ ।

केवल एक विद्यालय ।

अब दो और विद्यालय मान्यता प्राप्त हो गये हैं ।

जी नहीं । छात्र संख्या निरन्तर घटी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के विकास खण्ड अहरौला तथा अतरौलिया के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

84—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के विकास खण्ड अहरौला तथा अतरौलिया के कितने बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में प्रधानाध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

श्री सिद्धते रजो--

रिक्त पदों की संख्या--

विकास खन्ड	जुलाई, 1987 से	जुलाई, 1987 के पूर्व
अहरौला	4	10
अतरौलिया	4	10

पदों को भरने के आदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

ब्लाक प्रमुख खलीलाबाद जिला बस्ती द्वारा ब्लाक कार्यालय के ठीक सामने बिना नक्शा पास कराये 36 दुकानों का निर्माण

85--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख खलीलाबाद, जिला बस्ती ने ब्लाक कार्यालय के ठीक सामने लगभग 36 दुकानों का निर्माण बिना नक्शा पास कराये और बिना जिला प्रशासन के बताये खुद अपने भट्ठे से वोयम और सोयम ईंट लगवाकर बिना टेन्डर दिये स्वयं निर्मित करवा दिया है तथा क्या यह सच है कि ब्लाक प्रमुख के भ्रष्ट कार्यों की जांच के लिये ग्राम प्रधानों ने जिला प्रशासन बस्ती एवं प्रदेश शासन से मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ब्लाक प्रमुख को निलम्बित करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रमुख क्षेत्र समिति खलीलाबाद जनपद बस्ती द्वारा ब्लाक कार्यालय के सामने 25 दुकानों का निर्माण जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त करके कराया गया है। निर्माण कार्य में प्रथम श्रेणी की ईंट प्राक्कलन के स्वीकृत दर पर क्रय की गई है। ईंटों का क्रय मेसर्स खान ब्रिक फील्ड धौरहरा के भट्ठे से किया गया है।

श्री कमला सिंह प्रधान तथा अन्य द्वारा प्रमुख के विरुद्ध भ्रष्ट कार्यों सम्बन्धी शिकायती पत्र जिला प्रशासन, मण्डलायुक्त तथा शासन को भेजा गया। जांच कराने पर प्रमुख क्षेत्र समिति खलीलाबाद के विरुद्ध कोई वित्तीय गड़बड़ी सिद्ध नहीं हुई।

प्रमुख को निलम्बित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी का भूमि संरक्षण विभाग द्वारा अनियमित रूप से खुदाई गई नाली के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

86--श्री राम सागर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वामीदीन पुत्र श्री मंगल निवासी ग्राम बराबा, परगना रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी का भूमि संरक्षण विभाग द्वारा अनियमित रूप से खुदाई की गयी नाली संबंधी शिकायती-पत्र संख्या 1610/11 दिनांक 7-12-87 रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला अधिकारी, बाराबंकी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुदौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी के माध्यम से उप कृषि निदेशक (भू0सं0), बाराबंकी मन्डल, बाराबंकी को प्राप्त हुआ । शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा आरोप निराधार पाये गये ।

87--श्री विनोद कुमार--

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा में गोवर्धन नाले के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, शलाका द्वारा 7 सूचनायें स्वीकार हुईं ।

पहली सूचना डा0 दिनेश जौहरी की, दूसरी सूचना श्री शारदानन्द अंचल की, तीसरी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा की, चौथी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की, पांचवी सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित की, छठी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, सातवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की, ये सात सूचनायें स्वीकार हुई हैं ।

ये सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायं ।

(सदन की सहमति से सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

*डा0 दिनेश जौहरी--

[महोदय, मथुरा जनपद में जनता को वाटर लोगिंग से सामयिक मुक्ति दिलाने के लिये वर्ष 1985 में गोवर्धन नाले का पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया । कुछ लोगों की स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण उन्होंने नाले के पुनिर्माण कार्य में अनियमितताओं की विभिन्न स्तरों पर मनगढ़न्त शिकायतें की । जिसके प्रभाव से जिलाधिकारी, मथुरा, सिंचाई विभाग व सतर्कता अधिष्ठान नें जांच प्रारम्भ करायी । सिंचाई विभाग ने नाले का कार्य पूर्णतया रोक दिया व शासनादेश 12 जुलाई, 1965 नियुक्ति 'ख' दिनांक 23 दिसम्बर, 1965 का उल्लंघन और सी0 सी0 ए0 एल0 55 एवम् शासनादेश 718-77 कामिक-1 दिनांक 30 जुलाई, 1977 व 3493/86-23 सि0-10-205-79 दिनांक 30 मई, 1986 के प्रतिकूल कार्यवाही करके तथा अविश्वसनीय आधारों पर अनुशासनिक कार्यवाही से कुछ कर्तव्य निष्ठ राजकीय सेवकों का उत्पीड़न प्रारम्भ कर दिया ।

अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि गोवर्धन नाले का अधूरा कार्य वर्षा से पहले पूर्ण करावे तथा कर्तव्यनिष्ठ राजकीय सेवकों को लाभ दिलावें ।]

जिला बलिया के विकास कार्यों के लिये आवंटित धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 310 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल--

[महोदय, बलिया जनपद में शासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिये 1987-88 हेतु भेजे गये धन का जो घोर दुरुपयोग जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिस मद

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिये शासन ने लोक हित में जनपद के विकास को ध्यान में रखते हुये आवश्यक धन दिया है उसे मनमाने तरीके से जिला प्रशासन दूसरे अनिश्चित मदों में नियमों का उल्लंघन कर खर्च करने में लगा हुआ है। राजाज्ञाओं को जिला प्रशासन ने महत्व देना बन्द कर दिया है। विकास खण्डों में निर्माण कार्यों के लिये जमा विकास निधि को जिलाधिकारी ने खण्ड अधिकारियों पर नाजायज दबाव डाल कर अल्प बचत योजना में जमा करा दिया है। अनेक विभागों का धन अल्प बचत योजना में जमा करा कर पुरस्कार प्राप्त करने की होड़ में जिलाधिकारी बलिया है। इस विषम स्थिति, अनियमितता, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मनमानेपन से पूरे जनपद के नागरिकों में निर्माण विरोधी प्रशासनिक भूमिका के विरुद्ध रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के मामले को, आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर समाधान की मांग करता हूं।]

जिला बाराबंकी के जैदपुर कस्बे में फैली हुई गन्दगी की सफाई व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[महोदय बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत कस्बा जैदपुर में कूड़ा घरों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पूरे शहर का कूड़ा व पाखाना जैदपुर–अब्दुल्लापुर सार्वजनिक मार्ग पर ढेर किया जा रहा है। जिससे इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग जैदपुर कस्बे को दर्जनों गांवों से जोड़ता है। जैदपुर इस क्षेत्र को मुख्य बाजार है। बदबू के कारण इस मार्ग पर लोगों निकलना दूभर हो रहा है तथा बीमारी भी फैलने की अशंका उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के समक्ष उपस्थित करके सरकार से मांग करता हूं कि जैदपुर–अब्दुल्लापुर मार्ग पर कूड़ा ढेर करने पर सरकार रोक लगाये।]

देवरिया जिलान्तर्गत कसया कस्बे में पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[महोदय, देवरिया जनपद के मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा कसया में सड़क के पटरियों पर लगे गुमटियों और दुकानदारों को नादिरशाही तरीके से गत जून, 1987 में बुरी तरह उजाड़ और ध्वस्त कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गयी। इस सफाई अभियान में पचासों वर्ष पूर्व बने पक्के मकान भी तोड़ डाले गये। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा उजाड़े गये लोगों को पुनर्वासित करने के आदेश के बाद भी आज तक पीड़ितों को पुनर्वासित नहीं किया गया। इस सफाई अभियान में 350 से अधिक खोमचे और गुमटियों वाले उजाड़े गये जिनके कोई जीविका का साधन नहीं है, उनका परिवार ऐसी स्थिति में भुखमरी का शिकार हो रहा है। स्थानीय प्रशासन हठधर्मिता पर उतारू है और विस्थापितों को पुनर्वासित करने में हीला हवाली कर रहा है जिससे पीड़ितों में रोष व क्षोभ है तथा वे आन्दोलित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर जून, 1987 के सफाई अभियान में कसया कस्बे के उजाड़े गये दुकानदारों व गुमटी वालों को यथा उपयुक्त स्थान पर पुनर्वासित करने की सरकार से मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला उन्नाव को पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[मान्यवर, जनपद उन्नाव की पुलिस अराजक हो गयी है। विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की चल रही परीक्षाओं में पुलिस स्वयं जबरियां घुस कर नकल करवाती है : उन्नाव शहर में ही चार पुलिस सब-इंस्पेक्टरों के पुत्र परीक्षा दे रहे हैं। बिहार थाने के कोटबर परीक्षा केन्द्र में मौरावां थाने के एक दरोगा ईश्वर नारायन शर्मा द्वारा अपने पुत्र को नकल कराने के लिये जबरदस्ती घुस कर कक्ष निरीक्षक बजरंगी यादव को धकियाये जाने से जनपद के अध्यापकों में रोष है।

अजगैन थाने के ग्राम परसंदन में पुलिस ने आगजनी की। पूरे जनपद में चोरियां और डकैतियों की बाढ़ आ गयी है। मौरावां की पुलिस खुले आम हरे पेड़ों की कटाई और अवैध शराब की बिक्री में संलग्न है। कस्बा मौरावां के सामाजिक कार्यकर्ता शिव कुमार गुप्त की पिटाई की जांच में गवाहों को धमकाया जा रहा है।

पुलिस के अराजक हो जाने के कारण जनता में उत्पन्न भय और आक्रोश की अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में ला कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सीतापुर नगर में प्रवेश हेतु मार्गों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[महोदय, सीतापुर नगर में आने के लिये निकटिया, चिलवारा, कासिमपुर, नरही, गंगापुर, शाहपुर, उमरिया, खमरिया, बनेहटा ग्राम सभाओं के लगभग 20 ग्रामों का कोई मार्ग नहीं है। आर0 टी0 एस0 चिलवारा तथा अकोहया-सीतापुर दो मार्ग सार्वजनिक निर्माण निगम अस्थायी खन्ड द्वारा अधबने पड़े हैं। कारण पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र ओ० पी0 ए0 सी0 की भूमि में से सरकार रास्ता नहीं देती। जबकि अधिग्रहण के पूर्व सदियों पुराना रास्ता था। अधिग्रहण करते समय ध्यान नहीं दिया गया कि मार्ग छोड़ दिया जाय। एक ओर पुल विहीन नदी है तीन ओर सरकारी भूमि है। सिकटिया ग्राम के चारों ओर सरकारी भूमि है। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि लालकुर्ती से सीतापुर जो पुस्तैनी सड़क पी0 ए0 सी0 कैम्प के भीतर से आती है उस पर भी आवागमन रोक दिया है जिससे सीतापुर आन के लिये काफी चक्कर बढ़ गया है। सीतापुर नगर से दुकान, नौकरी, पढ़ाई आदि के लिए हजारों व्यक्ति रोज आते-जाते हैं सरकार का ध्यान अनेक बार आकृष्ट करने पर भी कोई हल नहीं निकला। जनता आन्दोलित है। सड़क बनने के लिये भूमि दिलाने की मांग करता हूं।]

आगरा जिलान्तर्गत यमुना पार क्षेत्र का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश "विकल"--

[महोदय, आगरा में यमुना पार स्थित अनुसूचित, पिछड़े वर्ग तथा निर्धन वर्ग की बगला देवजीत, कछरेपुरा, गढ़ी चांदनी, गढ़ी हुसैनपुर व प्रकाश नगर आदि बस्तियों में

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युत् की कोई व्यवस्था नहीं है । जबकि इन बस्तियों के चारों ओर के क्षेत्रों में विद्युत् की पूर्ण व्यवस्था है । इन क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए विद्युत् विभाग ने जो एस्टीमेट नगर महापालिका को भेजा है उसे धनाभाव का कारण बता कर टाल दिया गया है अथवा महापालिका का कहना है कि यह कार्य विद्युत् परिषद् को ही करना है जबकि विद्युत् विभाग यह कह कर मामले को टाल देता है कि उक्त क्षेत्र का विद्युतीकरण करना हमारा कार्य नहीं है । परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के हजारों नागरिक असीम कष्टों के बीच अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि वह उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण कराये जाने की व्यवस्था करें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 18 तारीख को 2 और आज को 1 सूचना प्राप्त हुई है । आज की जो सूचना है वह माननीय हरिश्चन्द्र, हरीश जी की स्कूटर्स इण्डिया के बारे में है । यह नियम 300 के अन्तर्गत आती नहीं और यह केन्द्र से सम्बन्धित विषय है, लिहाजा अस्वीकार ।

18 तारीख को दो सूचनायें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री दिवाकर विक्रम सिंह की हैं, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यकलापों के बारे में हैं ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा वितरित बजट साहित्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तथा शासन द्वारा हिन्दी की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

माननीय गुप्त जी, आपको क्या कहना है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बड़े दुखी अन्तःकरण से आपके और इस आदरणीय सदन के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं । नियमावली के नियम 282 में इस बात का प्राविधान किया गया है कि इस आदरणीय सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है और सन 1947 से प्रदेश की भाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि चली आ रही है । करण संख्या 211 का प्राविधान है, जिसके अनुसार इस आदरणीय सदन में जो भी साहित्य वितरित किया जायेगा हिन्दी में होगा । भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी के विकास और राजभाषा बनाने की जिम्मेदारी दी गयी है । चौथी बात यह है कि औचित्य का प्रश्न सदन के संज्ञान में होना चाहिये, तो यह सदन के संज्ञान में इसलिये है कि एक पुस्तक हमको "पिजन होल" से मिली है, जिसका नाम है "रिमोट सेंसिन्ग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश", इसके पृष्ठ 10, 11, 12 के ऊपर एक-डेढ़ पेज ऐसा है, जिसकी लिपि देवनागरी है लेकिन भाषा अंग्रेजी है । केवल दो लाइनें पढ़ूंगा "एरियल रिमोट सेंसिन्ग तकनीक इन द आइडेन्टिफिकेशन एण्ड एकरेज एस्टिमेशन आफ

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वेरियस प्लान्टेशन्स-ए केस स्टडी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आफ यू0 पी0" यह पहला बिन्दु था, इसी का चौथा बिन्दु है, "एस्टिमेशन आफ मिनिरल पोटेन्शियल इन गंगा-गोमती इण्टर फलूब एरिया आफ उत्तर प्रदेश यूजिंग सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नीक-ए केस आफ इन्वेस्टिगेशन फार मार्ल एण्ड कंकड़ फार मिनी सीमेंट इण्डस्ट्रीज।"

मान्यवर, इसी तरह से भाषा का दुरुपयोग इस पुस्तक के पृष्ठ 12 के अन्त तक किया गया है। हमारे यहां इस तरह की व्यवस्था तो है कि यदि आवश्यकता पड़े तो अंग्रेजी शब्द का यदि इस्तेमाल करना ही है तो अंग्रेजी शब्द के इस्तेमाल के बाद उसका अनुवाद देवनागरी लिपि में किया जाय, लेकिन सरकार के साहित्य में अंग्रेजी के कोटेशन देना, वाक्य के वाक्य अंग्रेजी के जहां प्रयोग किये जायं, तो वहां उसका अनुवाद भी देवनागरी लिपि में होना चाहिये।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

इसमें क्या आपत्ति है जबकि देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझसे पहले कहने में गलती हो गयी, मान्यवर, इस पुस्तक का नाम है "रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों की रिपोर्ट 1987-88" जो कि उत्तर प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रकाशित की गयी है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी चिढ़ गये मेरी बात से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये।

तो मैं कह रहा था कि शासन के जो भी आदेश हैं उसे मैं पहले ही आपके पास पटल पर रख चुका हूं। उत्तर प्रदेश के भाषा अनुभाग-1 ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं0 2953/इक्कीस-3(17)-72 में दिनांक 15 नवम्बर, 1972 में लिखा है कि "उत्तर प्रदेश की राजभाषा अधिनियम, 1951 की धारा 2 के अधीन 19 फरवरी, 1968 को निर्गत विज्ञप्ति द्वारा 26 जनवरी, 1968 को समस्त राजकीय प्रयोजनों के सम्बन्ध में देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। यह भी आदेश निर्गत किये गये हैं कि हिन्दी प्रयोग से सम्बन्धित आदेशों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जायेगा और उसे कठोर दृष्टि से देखा जायेगा।"

अब जो मैं व्यवस्था का प्रश्न या औचित्य का प्रश्न यहां सदन में रखना चाहता हूं वह यह है कि सन् 1947 के बाद से हिन्दी राजभाषा जब बन चुकी तो उसकी अवहेलना करने की कोशिश करना उचित नहीं है। आप देखें कि संविधान के अनुच्छेद 351 में दिया हुआ है कि जहां पर हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश में लिखा हुआ है कि "और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिये मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।" तो जिस समय यह संविधान बना उस समय फैसला किया गया कि राजभाषा हिन्दी होगी। यदि मेरी समझ से उसमें कोई कठिनाई हो तो उसे दूर करने का दायित्व सरकार का है। हिन्दी की प्रगति में आस्था न रखना एक हस्तक्षेप करके हिन्दी के स्वरूप को भ्रामक रूप देना, यह उचित नहीं है। यह हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित आदेशों का उल्लंघन है व अनुशासनहीनता भी है। हिन्दी को सुबोध, सुगम्य और सरल बनाने के लिये सरकार का उत्तरदायित्व है कि जहां ऐसी आवश्यकता थी अंग्रेजी को लिखने की, वहां अंग्रेजी शब्द लिख करके बाद में उसका हिन्दी अनुवाद होना

चाहिये था । यह सरकार की कमियों का मामला है, उसके द्वारा आदेशों की अवहेलना का मामला है ।

इसी तरह से राजकीय निर्माण निगम की जब रिपोर्ट छपी है, सदस्यों को गयी थी तो मैंने आपत्ति की थी तो माननीय अध्यक्ष ने उस पुस्तक को वितरण के बाद पेश नहीं होने दिया था । यदि मैं इस बात पर नहीं टोकूंगा, इस पर नियन्त्रण नहीं लगाऊंगा तो इस सरकार के द्वारा हिन्दी के बजाय आप देख रहे हैं कि दिनों दिन बराबर अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है । अभी हम लोगों को राजकीय निर्माण निगम की जो डायरी मिली है उसमें भी अंग्रेजी शब्द ही लिखे हुए हैं । इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव विभाग को जो डायरी दी गयी है उसमें भी ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों की ही हेडिंग है । यह राजभाषा का अपमान है कि उसकी अवहेलना करके निरन्तर अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है । यह गम्भीर मामला है जो कि आज मैं इस सूचना के द्वारा आपके संज्ञान में लाया हूं और इस माननीय सदन में औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहा हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा, मैंने भी औचित्य का प्रश्न इसी सम्बन्ध में दिया है कि इस समय इससे बढ़कर शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती उस सरकार के लिए जो संविधान का अनादर करे और संविधान में दी ग व्यवस्थाओं का अनादर करे ; जबकि मान्यवर इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश जारी होते रहे हैं कि हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में प्रचार और प्रसार किया जायेगा और यदि कहीं आवश्यकता हुई तो लिपि देवनागरी होगी लेकिन भाषा हिन्दी ही होगी, लेकिन यहां पर जो सरकार द्वारा जो कार्य किया गया है वह बिल्कुल संविधान के विपरीत है क्योंकि हिन्दी भाषा वह होती है जिसका हिन्दी व्याकरण होता है अंग्रेजी व्याकरण से युक्त पूरी अंग्रेजी वाक्यावली देवनागरी में छपा देना हिन्दी भाषा नहीं है । इसलिए मान्यवर में इस सरकार का ध्यान 1984 में जारी हुए एक शासनादेश की तरफ ले जाना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होगा अंग्रेजी का प्रयोग न केवल अपमान जनक होगा बल्कि दण्डनीय होगा । मान्यवर इन सब आदेशों के बावजूद यह उत्तर प्रदेश सरकार हिन्दी भाषा का अपमान कर रही है, एक ओर तो यह स्वयं कहती है कि हिन्दी भाषा का प्रचार व प्रसार होगा और इसके लिए बराबर ढिंढोरा भी पीटती रहती है कि यह राजाज्ञा जारी कर दी और वह जारी कर दी, लेकिन इन आदेशों को स्वयं सरकार नजरअंदाज करके जगह-जगह अंग्रेजी का प्रयोग करे और यहां तक करे कि 1-1 पृष्ठ और 2-2 पृष्ठ तक लगातार अंग्रेजी के वाक्य देवनागरी लिपि में लिख देना अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कहा जायगा । यह बड़ी निन्दनीय बात है । मान्यवर प्रक्रिया नियमावली की धारा 300 में जहां पर औचित्य का प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है कि "ऐसा कोई विषय संविधान के किसी अनुच्छेद या स्तर पर सदन की कार्यवाही संचालित करने में रुकावट पैदा करता हो, औचित्य का प्रश्न होगा । सदन की भाषा मान्यवर हमारी हिन्दी होगी, लेकिन यह सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि इनके अधिकारी अंग्रेजी लिखते और लिखाते हैं, और उसका खूब प्रयोग बोलचाल में हो रहा है, लेकिन इनका आपने अधिकारियों पर अब कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । इसलिए मान्यवर मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि उन लोगों के प्रति जो अंग्रेजी भाषा प्रयोग कर हिन्दी भाषा का अपमान करते हैं, उनके प्रति कठोर कार्यवाही कर उन्हें प्रताड़ित करने की कृपा करें और निश्चित रूप से निर्देश दें कि भविष्य में हिन्दी राजभाषा का अनादर न करें और समस्त कार्य हिन्दी में ही किया करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह प्रश्न जो माननीय गुप्ता जी व द्विवेदी जी ने उठाया है, बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और यह सवाल एक बार नहीं अनेकों बार उठाया जा चुका है, लेकिन इस सरकार ने आज तक इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है । मान्यवर अंग्रेजी का चलन करके देश की जनता का वरन् आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से शोषण किया जा रहा है और जो लोग अंग्रेजी को धारा प्रवाह बोलते हैं, उन्हीं को समाज में इज्जत दिए जाने का प्रचलन बना रखा है, जबकि हमने संविधान में यह कसम खा रखी है कि हम हिन्दी को अपनी राज्य भाषा बनायेंगे, लेकिन बजाए आज इसके विपरीत हर जगह हर स्थान पर हो रहा है । इस तरह से करके मान्यवर आज प्रदेश के लोगों का शोषण हो रहा है । इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस ओर अब गम्भीरता से विचार करते हुए ऐसे निर्देश जारी करें कि प्रदेश में हर जगह अंग्रेजी के प्रयोग को बन्द करें और समस्त काम-काज में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष जी जहां तक हिन्दी भाषा के प्रयोग का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में शासन की नीति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में और सभी लोग स्वयं जानते हैं कि सरकार की नीति हमेशा हिन्दी राज्य भाषा के प्रसार और प्रचार की ही रहती है और अधिक सुदृढ़ बनाने की रहती है और आज भी हर संभव ऐसे प्रयास जारी हैं और भविष्य में भी जारी किये जाते रहेंगे । परन्तु माननीय गुप्ता जी ने इस वक्त जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, जो रिमोटसेंसिंग रिपोर्ट के बारे में है, जो हिन्दी में लिखा गया है, जिसका अनुवाद हिन्दी में नहीं हुआ है, मैं यह नहीं कहता कि यह बात सही है, हिन्दी में अनुवाद होना चाहिये था । लेकिन मान्यवर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह टेक्निकल टापिक है, जिनपर शोध-पत्र लिखे गये हैं और सेमिनार हुए हैं, जिसका जिक्र किया गया है । मान्यवर, जब आप लिखते हैं तो ऐसे शब्द अक्सर आ जाते हैं जो अंग्रेजी के होते हैं । बहुत से शब्द किसी एक की सम्पत्ति नहीं होते हैं, वह चलते रहते हैं । दुनियां की जबान के शब्द हिन्दी में प्रयोग होते हैं और हिन्दी के शब्द अंग्रेजी में प्रयोग होते हैं । गुप्ता जी का जो प्रश्न है, जो सूचना लिख कर दिया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसकी दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा है कार्य कलाप की रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट शब्द हिन्दी का है उसके बाद आप देखें कि कोटेशन शब्द लिखा है, क्या इसका हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सकते थे । कोटेशन शब्द क्यों लिखा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने जानबूझकर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है और हिन्दी की प्रगति में अवरोध उत्पन्न किया है । यह बात उचित नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार का पूरी तरह से दृढ़संकल्प है कि हिन्दी की प्रगति में कोई अवरोध उत्पन्न न हो । लेकिन मान्यवर इस तरह की चीजें अक्सर आ जाती हैं और जहां तक मुलायम सिंह जी का कहना है, तो जो लोग अंग्रेजी जानते हैं तो वह समझते हैं कि वह बड़े काबिल हैं और जो हिन्दी जानता है उसकी काबिलियत ये कुछ कमी है । मान्यवर, दूसरे देशों में, फ्रांस में फ्रांसीसी और रूस में रूसी में काम होता है दूसरी जबान का प्रयोग नहीं होता है । तो हम लोगों को इस तरह की आदत डालना चाहिए कि हिन्दी में काम करें । सरकार इस तरह का प्रयास कर रही है कि हिन्दी में कोई अवरोध न उत्पन्न हो । सरकार की मन्शा नहीं है कि हिन्दी की प्रगति में रुकावट पैदा हो । औचित्य के प्रश्न के रूप में जो बिन्दु गुप्ता जी ने उठाया है वह अस्वीकार किया जाय, स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

श्री हरदेव--

माननीय मुझे एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

हरदेव जी आप बैठिये ।

श्री विजय सिंह राणा--

इनको तो कोई जबान आती नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय विजय सिंह राणा को वह जबान आती है जो आगरा के पागल खाने में आती है। वही विजय सिंह राणा जानते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय, मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है और देश के जितने राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री यहां आते हैं वह अपने देश की भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने ही देश के प्रधान मन्त्री अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और रूस के प्रधान मंत्री रूसी में बोलते हैं । तो माननीय आज प्रस्ताव यहां से चला जाय कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री या कोई अन्य मन्त्री बाहर जायें तो अपने देश की भाषा में बोले ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

गुप्त जी अब आप बठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मेरा नाम लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके साथी पीछे क्यों खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

हमारी भाषा हिन्दी लिपि है, देवनागरी लिपि है इस किताब में पूरे के पूरे वाक्यांश अंग्रेजी में दिये गये हैं । माननीय मन्त्री जी सदन को भ्रमित कर रहे हैं । वाक्यांश में कोई शब्द अंग्रेजी में हो सकता है लेकिन व्याकरण में नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ।

श्री अध्यक्ष--

गुप्ता जी आप क्या कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि संसदीय कार्य मन्त्री ने मेरे ऊपर टिप्पणी की । मैं उसका तर्क दे सकता हूं लेकिन तर्क को समझने के लिए बुद्धि कहां से दे पाऊंगा ? मैंने कहा था कि हमें हिन्दी का स्वरूप कैसा बनाना चाहिए ? हमारी हिन्दी भाषा हिन्दी में और क्षेत्रीय भाषाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राह्य हो सकती है । हमारी हिन्दी भाषा का क्या स्वरूप बनेगा, यह मैंने निवेदन किया था । मैंने "रिपोर्ट शब्द जो लिया वह इस पुस्तक में लिखा है जो हमें दी गई हैं और जो कोटेशन शब्द लिया है वह आपके कार्यालय ज्ञाप के अनुसार जो शब्दावली कोष शासन द्वारा जारी हुई है उसमें से लिया है । उसमें जो शब्दावली दी गई है कि इसका अनुवाद किया जाना चाहिए था । मैंने यह कहा था कि क्या हम इस तरह से हिन्दी का विकास करना चाहेंगे, जो संवैधानिक अनिवार्यता हमारे सामने थी, वह मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई थी जिसके बारे में द्विवेदी जी ने भी कहा है कि किसी शब्द का प्रयोग हिन्दी में किस तरह से हो सकता है लेकिन जब अंग्रेजी के पूरे के पूरे वाक्यों का प्रयोग हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में किये जायें तो वह हिन्दी भाषा की अवमानना ही है । मैं नहीं समझता हूं कि देश के साहित्यकारों ने हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए जो प्रयास किया है उसे झुठलाया जा रहा है । वह हिन्दी भाषा की अवमानना है । उस बारे में मन्त्री जी अवश्य स्पष्ट करें ।

माननीय मुलायम सिंह जी ने यहां पर एक प्रस्ताव रखा है और हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में कहा । उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वह शासन की नीति के अनुसार रखा । वह हमारी सरकार का दायित्व है कि हमारे देश का कोई बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो जिस समय वह शासन की नीति स्पष्ट करना चाहेगा, वह राष्ट्रीय भाषाओं में ही करेंगे । मान्यवर, मैं दो-एक उदाहरण इस सम्बन्ध में देना चाहूंगा कि जब श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत हो कर रूस में गई थीं और उन्होंने जब अपना भाषण पहली बार वहां पर अंग्रेजी में दिया था तो उस समय वहां के लोगों ने कहा था कि हमें अफसोस है कि आपके पास कोई राज भाषा नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

गुप्त जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इतना झेलने के बाद भी हम यह कहते हैं और हमारे देश का प्रधान मन्त्री कहां पर अंग्रेजी बोलते हैं जबकि रूसी लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं । माननीय मुलायम सिंह जी ने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, आप उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और उसे प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर दें । मैं फिर कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात के लिये खेद प्रकट करे और आज भी सरकारी विभागों में अंग्रेजी चल रही है उसको समाप्त करने के लिये कड़े से कड़ा कदम उठायें । इसको देखते हुये जिन अधिकारी ने इन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है उनकी शासित करे । राजकीय निर्माण निगम की डायरी पर अंग्रेजी में नाम लिखने की क्या जरूरत थी । मैं सरकार से

अपेक्षा करूंगा कि वह सही व्यवस्था, सही आदेश, सही स्थित स्पष्ट करने के लिये कड़े आदेश दें ताकि वहां पर अंग्रेजी का प्रयोग न हो और हिन्दी का सही स्वरूप उभरे ।

श्री अध्यक्ष—

भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए । जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता, इसलिए इसे अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुलायम सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा है . . .

(श्री हरदेव के खड़े हो कर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरदेव जी, आप बैठ जायं ।

माननीय हरदेव जी आप बैठें आपको मैंने नहीं बुलाया है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि एक प्रस्ताव माननीय नेता लोकदल 'ब' ने उपस्थित किया: है । वह प्रस्ताव हमारे नियमों के बिल्कुल संगत है । नियमावली में यह है कि हमारी भाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी तो उसी के अनुसार यह प्रस्ताव रखा है यह सदन इस सरकार और भारत सरकार से भी मांग करता है कि भविष्य में हमारे जो भी नेता किसी अतिथि के आगमन पर या बाहर जाने पर अपनी बात कहें वह अपनी राष्ट्रभाषा में ही कहें जो संविधान सम्मत भी है । तो एक प्रस्ताव इस प्रकार का उपस्थित कर दिया गया है तो मैं चाहता हूं कि आप शासन से पूछ लें अगर उन्हें स्वीकार हो तो यहां सर्वसम्मत से पास हो जाय और अगर विरोध हो तो फिर आप जैसा निदेश करेंगे हम उसे मान लेंगे । इस पर शासकदल क्या कहता है यह मालूम हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव की एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा कर प्रस्ताव लायें,

(व्यवधान)

मद संख्या 3 (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, आपके श्रीमुख से एक व्यवस्था दी गयी उस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं आपने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये तो इसका तात्पर्य क्या है क्या इस प्रकार राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में यहां पर प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे वा फिर इसका मतलब यह है कि यह सरकार ऐसा न करे । इसे स्पष्ट कर दें यह जो गलत काम सरकार ने किया है उसके लिये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

भविष्य में सत्ता के लिए कहा है आपके लिये नहीं ।